www.dhyeyaias.com

अगस्त 2020 | अंक 04

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 | पीएम-किसान योजना : अधिक समावेशन की जरूरत

2 | अध्यक्षीय प्रणाली की भारत में संभावना

3 | जीएसटी संग्रह में कमी : चुनौतियाँ एवं उपाय

4 | कोविड-19 के दौरान SDGs : वैचारिक बदलाव की आवश्यकता

5 | राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन : एक अवलोकन

6 | सार्वजनिक बैंकों के संदर्भ में सरकार और आरबीआई की दुविधा

7 | न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि : माँग और विकास का उत्प्रेरक

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अगस्त 2020 | अंक 04

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न	01–14
➲ पीएम-किसान योजना : अधिक समावेशन की जरूरत	
➲ अध्यक्षीय प्रणाली की भारत में संभावना	
➲ जीएसटी संग्रह में कमी : चुनौतियाँ एवं उपाय	
➲ कोविड-19 के दौरान SDGs : वैचारिक बदलाव की आवश्यकता	
➲ राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन : एक अवलोकन	
➲ सार्वजनिक बैंकों के संदर्भ में सरकार और आरबीआई की दुविधा	
➲ न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि : मांग और विकास का उत्प्रेरक	
7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स	15–21
7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)	22–23
7 महत्वपूर्ण खबरें	24–29
7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)	30
7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)	31
7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी)	32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 पीएम–किसान योजना : अधिक समावेशन की जरूरत

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत की पहली सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबी आई-यूनिवर्सल बेसिक इन्कम) प्रकार की योजना है जिसमें भूमिधर किसानों को लक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) का एलान पिछले साल किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisaan) योजना के तहत हाल ही में किसानों के खातों में 2000 रुपये की राशि डाल दी गई है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि कई किसान हैं जिनको शायद किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह योजना अपने मूल उद्देशों को प्राप्त करने में सफल रही है?

परिचय

- कृषि के आधुनिकीकरण से किसानों के जीवन स्तर में बदलाव तो आया है, लेकिन लघु और सीमांत किसानों की बदहाली जस की तस कायम है। यही वजह है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय दुगुना करने के लिए भारत सरकार ने किसानों के लिए एक नई और आकर्षक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी और उससे आम लोगों व गरीबों को भी जोड़ दिया है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया है।
- प्रारम्भ में इस योजना के तहत, 2 हेक्टेयर तक के भू-स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6000/- प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जानी थी, लेकिन अब इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को सीधे किसानो के बैंक अकाउंट में भेजा जायेगा। किसानों को मिलने मिलने वाली यह सहायता राशि 2-2 हजार रूपये की तीन किस्तों में दी जाएगी।
- इस योजना के लाभार्थी परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे ही शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट में कुल 75,000 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ देश के करीब 12 करोड़ किसानों को मिलेगा।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित भू-स्वामियों को शामिल नहीं किया गया है:

- संस्थागत भू-स्वामित्व
- ऐसे भू-स्वामी जो वर्तमान अथवा पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे हों
- जिला पंचायत अध्यक्ष और उससे उपर के सभी जनप्रतिनिधि
- वर्तमान और पूर्व लोक सेवक

- लॉकडाउन के दौरान किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में पीएम-किसान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल किया गया था। 28 मार्च को यह घोषणा की गई कि किसानों को जून में मिलने वाली 2,000 रुपये किस्त अप्रैल में ही उनके खाते में भेजी जाएगी।

पीएम-किसान योजना को लागू करने में प्रमुख चुनौतियाँ

- उचित भू-अभिलेखों की अनुपस्थिति में पीएम-किसान योजना के सही लाभार्थियों की पहचान कर पाना एक बड़ी समस्या बनी हुयी है।
- पीएम-किसान योजना अपने उद्देश्यों के अनुरूप सभी किसान परिवारों तक नहीं पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश किसानों के पास जमीन है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन एक सर्वे में, शामिल किसानों में से केवल 21 फीसदी किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। हरियाणा और राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में यह अधिक देखने को मिल रहा है।
- इस योजना की एक बड़ी समस्या इसके क्रियान्वयन में है। चूंकि सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खातों में पहुंचाई जाती है लेकिन इसकी किस्त समय पर नहीं मिलती है, इसके दो प्रमुख कारण है-

- किसान के भू-अभिलेखों और उसके बैंक खाते का सही समय पर मेल न होना
- किसानों की पहचान के लिए बैंक खातों से उनके आधार के जुड़ाव की समस्या

- पीएम-किसान योजना की पहुंच और उसके लक्ष्य प्राप्ति में अनिश्चितता को देखते हुए, इस महामारी की अवधि के दौरान योजना की प्रासंगिकता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

पीएम-किसान योजना की आलोचना

- इस आय सहायता योजना में भूमिहीन किसानों, बटाईदार किसानों और कृषि मजदूरों को शामिल किया गया।
- यह योजना किसानों की समस्याओं के लिए कोई दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत नहीं है। यह सिर्फ कुछ समय के लिए और कुछ लोगों के लिए जीवन को थोड़ा आसान बना सकती है।
- यह योजना गरीब समर्थक नहीं है क्योंकि पीएम-किसान योजना के लाभार्थी पहले से भू-स्वामित्व धारण करते हैं और उन्हें प्रत्यक्ष आय सहायता भी मिल रही है जबकि भूमिहीन किसान, बटाईदार किसानों और कृषि मजदूरों को कोई आय सहायता नहीं मिल रही है।

किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण आय सहायता योजनाएँ:

रायतु बंधु योजना (तेलंगाना)

- यह भारत में पहली प्रत्यक्ष किसान निवेश सहायता योजना है, जिसमें सीधे नकद भुगतान किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 10 मई 2018 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी किसान को शामिल किया गया है जिनके पास भू-स्वामित्व है। हालांकि इस योजना में भूमिहीन या बटाईदार किसानों को शामिल नहीं किया गया है।
- यह मदद खरीफ और रबी फसल के अनुसार दो चरणों में दी जाती है। किसानों को चेक के जरिए प्रति एकड़ 4 हजार रुपए दिए जाते हैं और इसकी अधिकतम राशि 8 हजार रुपए प्रतिवर्ष तक हो सकती है।

आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता (KALIA):

- ओडिशा सरकार ने आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation-KALIA) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को दो चरणों में 10 हजार रुपए तक की आय सहायता दी जाती है। इस योजना में छोटे और बटाईदार किसान भी शामिल किए गए हैं।

आगे की राह

- पीएम-किसान जैसे कल्याणकारी उपायों के प्रभाव को सही समय पर तथा उचित वित्तीय सहायता के माध्यम प्राप्त किया जा सकता है जो किसानों को उनकी दैनिक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति प्रदान करती है। इसलिए किसी भी नगद हस्तांतरण योजना की प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि उस योजना के तहत हस्तांतरित की जा रही नगदी प्रभावित समुदाय को गरीबी से बाहर लाने में मदद करने के लिए पर्याप्त है या नहीं।
- PM-KISAN जैसी प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना निश्चित रूप से एक परिवर्तनकारी योजना है। यदि इसकी किस्तों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाता है तो इसका किसानों की स्थिति में महत्वपूर्ण उत्थान हो सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा करते हुए बताएं कि क्या यह योजना वर्ष 2022 तक किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि करेगी?

02 अध्यक्षीय प्रणाली : क्या भारत में संभव है?

चर्चा का कारण

- हाल ही में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप-प्रत्यारोप लगने के बाद फिर से संसदीय शासन प्रणाली बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर बहस छिड़ गई है।

परिचय

- समाज के कुछ वर्ग द्वारा तर्क दिया जाता है कि भारत में राजनीतिक प्रणाली पूरी तरह से ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र और उनके अनुभव के आधार पर बनाई गई थी।
- परंपरागत रूप से, सरकार के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तीन तरह से आलोचनाएँ हुई हैं- पहला यह कि राष्ट्रपति तानाशाही शक्तियों को मान सकते हैं, दूसरा कार्यकारी, सीधे निर्वाचित विधायिका के लिए जिम्मेदार नहीं होती है और अंत में, यदि राष्ट्रपति एक पार्टी से संबंधित है और विधायिका किसी अन्य पार्टी द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो यह संघर्ष और दुर्बलता का कारण बन सकता है। लेकिन इनमें से प्रत्येक की आलोचना हो सकती है जैसा कि अमेरिका के अनुभव से पता चला है कि राष्ट्रपति प्रणाली में भी निश्चित नियंत्रण और संतुलन (चेक एंड बैलेंस) हैं।
- हालाँकि यह बहस अकादमिक है क्योंकि 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधारभूत संरचना के सिद्धांत के कारण हमारी वर्तमान संवैधानिक योजना के तहत राष्ट्रपति प्रणाली में बदलाव संभव नहीं है।
- संविधान सभा ने ब्रिटिश मॉडल और अमेरिकी मॉडल दोनों पर विचार करने के बाद एक सूचित विकल्प बनाया था और डॉ बी आर अम्बेडकर ने योग्यता और अवगुणों की एक बैलेंस शीट तैयार की थी। संविधान सभा द्वारा दी गई सूची को बदलना, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा।

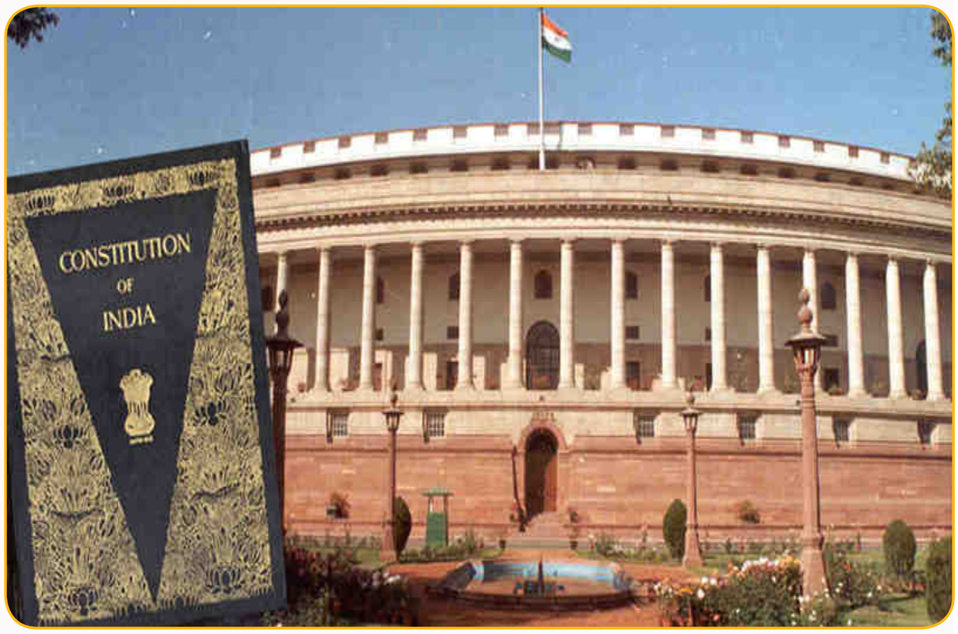

- गौरतलब है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ मुख्यत: संसदीय प्रणाली (Parliamentory system) एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली (Presidential system) में वर्गीकृत की जाती है।
- ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है।
- भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है लेकिन संविधान में उल्लेखित प्रावधानों यथा अनुच्छेद 53,अनुच्छेद 74, और अनुच्छेद 73 (3) के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है।

संसदीय शासन प्रणाली

- यह शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित है तथा कार्यपालिका व विधायिका के मध्य शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है।
- यहाँ दोहरी कार्यपालिका की उपस्थिति देखने को मिलती है-नाममात्र व वास्तविक।
- भारत में नाममात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति तथा वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं।
- भारत का संविधान केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय रूप को प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 और 75 संघ स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली से संबंधित है और अनुच्छेद 163 और 164 में राज्यों के संबंध में प्रावधान है।

संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं

- यह अधिक उत्तरदायी सरकार के निर्माण पर बल देती है क्योंकि कार्यकारी अपनी नीतियों और कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। यहाँ मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है व्यक्तिगत रूप से भारत के राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति।
- संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य सामंजस्य अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि यहाँ विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं।

संसदीय शासन प्रणाली की आलोचना

- संसदीय शासन प्रणाली की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें सरकार

का अस्थिर कार्यकाल होता है क्योंकि इस प्रणाली में बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है।

- कई बार यह भी देखने को मिलता है कि सत्ताधारी पार्टी को बहुत मामूली अंतर से बहुमत हासिल हुआ होता है। इस स्थिति में सत्ताधारी दल अपनी सरकार को बचाने में लगा रहता है तथा वह कई तरह के जोड़ तोड़ की राजनीति करता है।
- पिछले कुछ वर्षों से भारत में ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न राजनितिक दल प्रधानमंत्री का केंद्र में और मुख्यमंत्री का राज्य में पद के उम्मीदवार की घोषणा चुनाव के पहले ही कर देते हैं अर्थात पार्टी उन्ही के नाम पर चुनाव लड़ती है। इस स्थिति में पार्टी की जगह व्यक्तिगत राजनेताओं का महत्त्व बढ़ जाता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि व्यवहार में भारत में काफी हद तक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लक्षण दिखने लगे है अत: इसे सैद्धान्तिक तौर पर भी अपना लेना चाहिए।
- संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रिमंडल को चुनने के विकल्प सीमित होते है। इससे सरकार की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
- संसदीय शासन प्रणाली में संसद या विधानसभा में किसी विधेयक पर वोटिंग के दौरान राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के विपरीत वोट देने पर दल-बदल कानून के अनुसार सदस्यता चली जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक रूप से चर्चा नहीं की जाती है, जोकि काफी महत्त्वपूर्ण होता है। जबकि एक अच्छे लोकतंत्र में बहस का दायरा बड़ा होना चाहिए।

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित है तथा यहाँ एकल कार्यपालिका का सिद्धांत है।
- राष्ट्राध्यक्ष व सरकार के अध्यक्ष के मध्य भेद नहीं होता है, दोनों ही पद एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति में निहित होते हैं।

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं

- इस प्रणाली में सरकार का कार्यकाल अपेक्षाकृत स्थिर होता है।
- राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में देश से किसी भी विशेषज्ञ को शामिल कर सकता है, जिससे इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है।
- इसमें दल-बदल जैसे राजनीतिक दोष से सरकार मुक्त रहती है।

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आलोचना

- इस प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य टकराव की सम्भावना बनी रहती है।
- यहाँ अपेक्षाकृत कम उत्तरदायी सरकार होती है और उसके निरंकुश तरीके से निर्णय लेने की सम्भावना बनी रहती है।

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के पक्ष में तर्क

भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाने के पक्ष में कुछ विशेषज्ञ निम्नलिखित तर्क देते हैं:

1. इसमें सरकार बनने के बाद अस्थिरता नहीं रहती है अत: सरकार के प्रभावी निर्णयन की संभावाना बढ़ जाती हैं। सरकार अपने आप को बचाने में विभिन्न राजनीतिक दांव-पेंच जैसे विधायकों की खरीद-फरोख्त आदि के बजाये सुशासन पर ध्यान दे पाती है।
2. अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री को डर खत्म हो जाता है कि उनका राजनीतिक दल उन्हें हटाकर किसी और को पद न सौंप दे।
3. परिपक्व लोकतंत्र में कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य बहुत कम टकराव देखने को मिलते हैं और भारत का लोकतंत्र परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है।
4. उपर्युक्त तर्कों के आधार पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को केंद्र राज्य शहरी निकायों आदि सभी स्तर पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लेना चाहिये। शहरी स्तर पर भी जनता मेयर का प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव करें ताकि उसकी जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ सके।

आगे की राह

- उच्चतम न्यायालय ने संसदीय प्रणाली को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है।
- भारत सामाजिक, सांकृतिक विविधता वाला देश है अत: यहाँ सरकार के निर्माण व संचालन में व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है जो कि संसदीय शासन प्रणाली में अपेक्षाकृत ज्यादा संभव है।
- चुनावी प्रक्रियाओं में विभिन्न खामियों पर बहस होनी चाहिए जैसे राजनीतिक दलों के खर्च को सीमित करने और खर्च पर अंकुश लगाने, साथ-साथ चुनाव कराने, बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने तथा निष्पक्ष चुनाव कराने आदि।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना।

Topic:

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्र. संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के मध्य तुलना करते हुए बताएं कि क्या वास्तव में भारत को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आवश्यकता है?

03 जीएसटी संग्रह में कमी : संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

- वित्तीय वर्ष 2019-20 से ही धीमी आर्थिक वृद्धि ने केंद्र और राज्यों दोनों के वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) संग्रह को प्रभावित किया है। वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति की अदायगी भी केंद्र के लिए एक चुनौती बना दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल क्षतिपूर्ति 1,65,302 करोड़ रुपये अनुमानित थी जबकि क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से मात्र 95,444 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है। COVID-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव ने इस चुनौती को और अधिक बढ़ा दिया है।

परिचय

- वस्तु एवं सेवा कर "एक राष्ट्र एक कर" की अवधारणा पर आधारित है, जिसके लिए केंद्र और राज्यों ने अपनी कुछ कराधान शक्तियों को आपस में साझा किया है। राज्यों ने अपने द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर जैसे राज्य वैट, लक्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, विज्ञापनों पर कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर ने बिक्री कर आदि लगाने के लिए अपनी शक्तियां छोड़ दीं। इसका एक बेहतर उदाहरण वस्तु एवं सेवा कर है। वस्तु एवं सेवा कर से संबन्धित 122वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए 50% से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ी।
- जीएसटी एक गंतव्य आधारित कराधान व्यवस्था है जिसमें कर उन राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संग्रहीत किया जाता है जहां वस्तु या सेवा की खपत होती है न कि जहां उन वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादित किया जाता है। कराधान की इस व्यवस्था से विनिर्माण वाले राज्यों को कर राजस्व के नुकसान बढ़ गयी जिसके लिए राज्यों को 5 वर्षो के लिए किसी भी कर राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी संविधान में किया गया है। इसके लिए जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया है।

इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- इस अधिनियम में यह माना गया है कि प्रत्येक राज्य का जीएसटी संग्रह 14% वार्षिक की दर से बढ़ेगा। (वित्त वर्ष 2015-16 से में जीएसटी में शामिल किए गए सभी करों के माध्यम से एकत्रित राशि से)
- यदि किसी राज्य द्वारा किसी भी वर्ष में इस राशि से कम कर संग्रह किया जाता है तो, उस कमी की भरपाई केंद्र द्वारा की जाएगी।
- इस राशि का भुगतान प्रत्येक दो महीने में अनंतिम खातों के आधार किया जाएगा और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य के खातों का ऑडिट किए जाने के बाद हर साल समायोजित किया जाएगा।
- यह योजना पाँच वर्षों के लिए अर्थात् जून 2022 तक वैध है।
- इसके लिए एक क्षतिपूर्ति उपकर निधि बनाई गई है, जिसमें से राज्यों को किसी भी कमी के लिए भुगतान किया जाता है।
- कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर लगाया जाएगा और इस उपकर का उपयोग मुआवजे का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
- जीएसटी के 28% स्लैब (विलासिता वाली वस्तुएं और सेवाएं) पर अतिरिक्त उपकर से इस निधि को वित्तपोषित किया जाता है।

क्षतिपूर्ति से जुड़ी वर्तमान चुनौतियां:

- इस योजना के पहले दो वर्षों में उपकर से एकत्र की गई निधि राज्यों के जीएसटी संग्रह की कमी से भी अधिक थी। लेकिन तीसरे वित्तीय वर्ष, 2019-20 में आर्थिक वृद्धि धीमी रही, जिससे:
- राज्यों की कर राजस्व की कमी हुई
- राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए उपकर का संग्रह भी कम हुआ
- राज्यों को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में देरी भी इसी कारण से हो रही है।
- वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के जीएसटी राजस्व के संग्रह में 41% की कमी हुयी है। जो यह दर्शाता है कि राज्यों के राजस्व में 14% की वृद्धि हासिल करना और उसमें हुई कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपकर संग्रह भी संभव नहीं है।

- लेकिन राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य है। अतः इसके लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर एक उचित समाधान विकसित करना होगा।

उपरोक्त चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपाय:

- जीएसटी परिषद को क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है इसके लिए निम्नलिखित संभव समाधान हो सकते हैं:
- संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित अवधि को घटाकर 3 वर्ष किया जा सकता है। इससे क्षतिपूर्ति के लिए अंतिम वर्ष 2019-20 हो जाएगा जिससे केंद्र पर आने वाले दो वर्ष में कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं रहेगा।
- हालांकि ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि अधिकांश राज्य इस प्रस्ताव से सहमत होने के लिए अनिच्छुक होंगे। इसे राज्यों से किए गए वादे मुकरने के रूप में भी देखा जा सकता है, जो उनसे अपने करों को जीएसटी में शामिल करने के लिए सहमत होने के लिए किया गया था।
- केंद्र सरकार अपने स्वयं के राजस्व से राज्यों की इस राजस्व की कमी को पूरा कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार भी अपने कर संग्रह में कमी और स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकट के प्रबंधन के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रही है।
- इससे पता चलता है केंद्र राज्यों को और समर्थन देने की स्थिति में नहीं है। केंद्र की राजकोषीय सीमाओं (2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 6-8% का राजकोषीय घाटा) को देखते हुए भी यह व्यावहारिक नहीं है।
- केंद्र क्षतिपूर्ति उपकर निधि पर उधार ले सकता है। इसके लिए उपकर की अवधि को पांच साल से आगे बढ़ाना होगा। ताकि इस ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त उपकर का संग्रह किया जा सके।
- जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्यों की वार्षिक 14% की कर राजस्व वृद्धि दर के लक्ष्य में संशोधन किया जा सकता है।
- अप्रत्यक्ष कर राजस्व वृद्धि के लिए 14% लक्ष्य महामारी के पहले भी बहुत वास्तविक नहीं था। इसे एक व्यावहारिक विकास दर के अनुसार संसोधित किया जा सकता है जो जीडीपी विकास दर के अनुरूप हो।

निष्कर्ष:

- वर्तमान कोविड महामारी और इसका आर्थिक प्रभाव देश के लिए एक अप्रत्याशित झटका है। केंद्र और राज्यों दोनों को कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहकारी संघवाद ढांचे के आधार पर मिलकर कार्य करना होगा। इसके लिए, केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ एक संवैधानिक निकाय के रूप में जीएसटी परिषद को एक व्यावहारिक समाधान खोजना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. सरकार के आर्थिक संसाधनों के संग्रह पर कोविड महामारी के प्रभाव की चर्चा करें। राज्यों के जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र की बाध्यता को कम करने के लिए संभावित समाधान क्या हो सकते हैं?

04 कोविड-19 के दौरान SDGs : वैचारिक बदलाव की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा अपने यहाँ परिस्थितियों के अनुसार लॉकडाउन को लागू किया गया ताकि कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि लॉकडाउन ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में बाधा पहुंचायी है।
- इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में सतत विकास पर वर्चुअल हाई-लेवल पॉलिटिकल फोरम (Virtual High&Level Political Forum on Sustainable Development) ने विभिन्न देशों की सरकारों और अन्य हितधारकों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने हेतु और अधिक प्रभावी नीतियों के निर्माण पर बल दिया है।

क्या है 'विकास से लेकर संधारणीय/सतत विकास' की अवधारणा?

- **विकास (Development):** विकास का तात्पर्य मानव को एक 'अच्छा जीवन' उपलब्ध कराने से है। एक अच्छे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 'जीवन के उच्च मानक' व 'जीवन की उच्च गुणवत्ता' को सुनिश्चित करना होता है। साथ ही साथ इन दोनों तत्त्वों को, स्थायी रूप से प्रदान करना भी महत्वपूर्ण होता है।
- जीवन के मानकों का तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आय इत्यादि जैसे आयामों से है, वहीं जीवन की गुणवत्ता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं से है, जिनका विस्तृत उल्लेख हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है।
- **सतत विकास (Sustainable Development):** सतत विकास, एक ऐसी संकल्पना है जो दीर्घकालीन विकास की रणनीति निर्धारित करती है अर्थात् इसमें विकास की निरंतरता रहती है। इस संकल्पना में समतामूलक न्याय, आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण के मध्य एक संतुलन बनाते हुए तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए,वर्तमान पीढ़ी के लिए संसाधनों के तर्कपूर्ण दोहन पर बल दिया जाता है।
- **सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs- Millennium Development Goals):** वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में 21वीं सदी हेतु अब तक प्राप्त न किये गए लक्ष्यों को निर्धारित करने हेतु 'सहस्राब्दी विकास सम्मेलन' बुलाया गया। इस सम्मेलन में अगले 15 वर्षों(वर्ष 2015 तक) के लिए दुनिया के समक्ष विद्यमान ऐसे 8 लक्ष्यों की पहचान की गयी, जिनका समाधान करना था। इन्हीं 8 लक्ष्यों को 'MDGs' कहा जाता है।
- वर्ष 2015 तक 'MDGs' को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने में असफलता के कारण, वर्ष 2015 में 'सतत विकास लक्ष्य' (एसडीजी) निर्धारित किये गये।
- **संधारणीय/सतत विकास लक्ष्य (SDGs_ Sustainable Development Goals):** सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अगले 15 वर्षों में (2015-30 में) 'MDGs' को मिलाते हुए '17 लक्ष्यों' की पहचान की गयी, जिन्हें 'सतत विकास लक्ष्य' कहा गया।
- इसमें मुख्य रूप से गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग समानता, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिन्हें 2030 तक सभी राष्ट्रों को पूरा करना है।

कोविड-19 महामारी का सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभाव

- यूएनडीपी के अनुसार वैश्विक मानव विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर) का वर्तमान स्तर गिरकर 1990 के स्तर पर पहुंच जायेगा। "दुनिया ने पिछले 30 वर्षों में कई संकटों को देखा है, जिसमें 2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट शामिल हैं। प्रत्येक ने मानव विकास को कड़ी चुनौती दी है, लेकिन कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर वर्ष-दर-वर्ष विकास दर भी अर्जित हुई है।
- **स्वास्थ्य:** सतत विकास लक्ष्यों के तहत दुनिया में 2030 तक हर किसी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी थी। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि (शिशु और मातृ मृत्यु दर में गिरावट, एचआईवी / एड्स पर नियंत्रण और मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकना)पर खतरे की आशंका है। कोविड-19 महामारी से स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान के कारण ना केवल इन बिमारियों के बढ़ने की आशंका है बल्कि इसने टीकाकरण अभियानों पर भी विराम लगा दिया है।
- **भुखमरी:** पिछले दो दशकों में कुपोषित लोगों की संख्या लगभग आधी हो गई है। मध्य और पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन सभी क्षेत्रों में भारी प्रगति की है हालाँकि 2017 तक कुल मिलाकर 821 मिलियन लोग कुपोषित थे।
- कोविड-19 महामारी ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं में कमजोरियों को उजागर करते हुए खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं को छिन्न-भिन्न कर दिया है। इस महामारी ने यमन जैसे संवेदनशील देशों में लाखों लोगों को और संकट में धकेल दिया है, जहां मानवीय सहायता के बावजूद, हर दिन 15.9 मिलियन भूखे रहने को मजबूर हैं।
- **निर्धनता:** भारत और चीन ने तेजी से आर्थिक प्रगति करते हुए लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि अभी भी लगभग 736 मिलियन लोग प्रति दिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम आय पर गुजर-बसर के लिए निर्भर हैं।
- कोविड-19 महामारी के सन्दर्भ में ऑक्सफैम का अनुमान है कि यह संकट आधे अरब लोगों को गरीबी में धकेल सकता है।SDG1 निर्धनता को दूर करने हेतु समर्पित है लेकिन वर्तमान संकट ने इस लक्ष्य को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
- **गुणवत्तापरक रोजगार:** लगभग 1.6 बिलियन लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं जोकि वैश्विक कार्यबल का लगभग आधा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अपनी आजीविका के समाप्त होने के तात्कालिक खतरे से जूझ रहे हैं।
- ILO की रिपोर्ट के अनुसार, महामारी शुरू होने के बाद से छह में से एक से अधिक युवा अपनी नौकरी खो चुके हैं और जो

अभी भी काम पर हैं, उनके घंटे कम हो गए हैं।

- **गुणवत्तापरक शिक्षा:** कोविड-19 महामारी के दौरान यूनेस्को का अनुमान है कि करीब 1.25 बिलियन छात्र लॉकडाउन से प्रभावित हैं, इसके अलावा विकासशील देशों में 86 प्रतिशत प्राथमिक स्कूली बच्चों को शिक्षा नहीं प्रदान किया जा रहा है। महामारी ने डिजिटल डिवाइड को पुन: उजागर किया है और सबके इंटरनेट एक्सेस के अधिकार पर फिर से जोर दिया है, खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए।
- यूएनडीपी का अनुमान है कि डिजिटल डिवाइस को समाप्त करने से स्कूल बंद होने के कारण प्रभावित होने वाले वाले बच्चों की संख्या में दो तिहाई से अधिक की कमी आएगी।
- **मजबूत संस्थाएं:** कम से कम 18 राष्ट्रीय चुनाव और जनमत संग्रह पहले ही स्थगित हो चुके हैं जिससे इस क्षेत्रों में अशांति का खतरा बढ़ सकता है। सरकारों पर डिजिटल सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ सामाजिक अधिकारों को आगे बढ़ाने, मानव अधिकारों और कानून के शासन को बनाए रखने के सन्दर्भ में काफी दबाव है। कमजोर और अस्थिर सरकारों के सन्दर्भ में स्थितियां और भी विकट हो जाती है।
- **डबल हेलिक्स (The doublehelix):** वैज्ञानिकों ने वर्षों से चेतावनी दी है कि अनियंत्रित वनों की कटाई, अवैध वन्यजीव व्यापार और जानवरों से मनुष्यों के बीच प्रसारित होने वाली बीमारियां एक बेकाबू महामारी को जन्म देगी। कोविड-19 महामारी से इस दिशा में मानवीय हस्तक्षेप के कम होने से प्रकृति जहाँ एक ओर पुन: वापस अपनी अविरल स्थिति में दिखी वही लॉकडाउन ने प्रकृति संरक्षण की गतिविधियों को भी प्रभावित किया।
- एक डबल हेलिक्स की तरह, SDGs और COVID-19 महामारी की प्रतिक्रिया आपस में जुड़ी हुई है और इन्हें अलग-अलग दृष्टिकोण से देखकर इससे नहीं निपटा जा सकता है। इसलिए हरित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश लोगों और ग्रह के बीच संतुलन को स्थापित करते हुए देशों को ऐसे संकट से उबरने में मदद प्रदान कर सकती है।

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में पुन: कैसे आगे बढ़ें?

- कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने तथा समयबद्ध तरीके से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को ऐसी नीति/नीतियाँ बनानी होंगी जिसमें तात्कालिक लक्ष्यों के साथ-साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों की भी पूर्ति हो सके।
- इसके अतिरिक्त, नीतियों में समावेशी और जवाबदेह शासन प्रणाली, कोविड-19 जैसी महामारियों से भविष्य में निपटने हेतु लचीलापन, सशक्त संस्थाएं, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य बीमा, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा इत्यादि आवश्यक परिवर्तनों का हिस्सा होना चाहिए।
- एशिया और प्रशांत के कई देश विकास हेतु समावेशी दृष्टिकोण के साथ नई रणनीति विकसित कर रहे हैं;जैसे- दक्षिण कोरिया ने हाल ही में दो केंद्रीय स्तंभों के आधार पर एक नयी नीति की घोषणा की है: डिजिटलीकरण (digitization) और डिकार्बोनाइजेशन (decarbonisation)।
- भारत ने हाल ही में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के संचालन की घोषणा की है। चीन जीवाश्म ईंधन उद्योगों की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा कर रहा है।
- सभी देशों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ खाद्य सुरक्षा के लिए ऐसी आपूर्तिशृंखला को निर्मित करना होगा जो संस्थागत अवरोधों से न केवल स्वतंत्र हो बल्कि इनकी प्रकृति भी समावेशी हो।

आगे की राह

- सौ साल में पहली बार, दुनिया एक सामान्य लक्ष्य पर केंद्रित है: कोरोनोवायरस की समाप्ति। हालाँकि "सामान्य रूप से वापस आना" संभव नहीं है लेकिन कोविड-19 महामारी संकट ने हमें दिखाया है कि हम लोग पृथ्वी और एक दूसरों से कितनी गहराई से जुड़े हैं।
- कोविड-19 ने हमें अपने मूल्यों को फिर से पुन: प्राप्त करने और विकास के एक नए क्षेत्र को डिजाइन करने के लिए बाध्य किया है जो एसडीजी 2030 की परिकल्पना के रूप में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति को संतुलित करता है।
- इस दिशा में एकीकृत समाधान, एकमात्र तरीका है जिसमें हम 2030 लक्ष्यों को पूरा करने में देशों की मदद करने के साथ-साथ एक समृद्ध और अत्यधिक समावेशी भविष्य बनाने में सक्षम होंगे।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) क्या हैं? एसडीजी के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयासों का उल्लेख करने के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के दौर में इन्हें प्राप्त करने हेतु किस प्रकार की नीतियों को अपनाना चाहिए ? संक्षेप में चर्चा करें।

05 राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- हाल ही में छह केंद्र शासित राज्यों में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health Mission) की शुरूआत की गई है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किया था जिसके तहत प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र (Health Identity Card) मिलेगा जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुगम होगी।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Prime Minister Jan Arogya Yojana) के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार शीर्ष एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार (एनएचए) को सरकार ने देश में एनडीएचएम का प्रारूप तय करने, उसे तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीएचएम की मुख्य प्रणाली जैसे स्वास्थ्य आईडी, डिजी-डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री को भारत सरकार द्वारा स्वामित्व, संचालित और रख-रखाव किया जाएगा। इसके अलावा निजी हितधारकों को कोर सिस्टम के साथ एकीकृत करने और अपने स्वयं के उत्पाद बनाने का समान अवसर दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र से जुड़ी प्राथमिकताओं को शामिल किया था। इस नीति में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि व्यापक स्वास्थ्य सुविधा कवरेज के लक्ष्य तक पहुंचने में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा घटक का महत्वपूर्ण योगदान रहे।
- इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2019 में एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी (National Digital Health Ecosystem) की रचना के उद्देश्य से पिछले दिनों राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य कार्ययोजना (National Digital Health Blueprint – NDHB) निर्गत की थी।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य कार्ययोजना (एनडीएचबी) में एक ऐसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) के गठन का प्रस्ताव था जो विशुद्ध रूप से एक सरकारी संगठन हो और पूर्ण रूप से स्वायत्त हो।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और वस्तु व सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) जैसे राष्ट्रीय सूचना उपयोगी प्रतिष्ठानों की कुछ विशेषताएँ समाहित करने का प्रस्ताव रखा गया था।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) के द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा के लिए एक एकीकृत मंच तैयार किया जाएगा। यह मंच एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र बिंदु के रूप में काम करेगा।
- एनडीएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य कार्ययोजना (NDHB) के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लागू करेगा। NDHM एक स्वैच्छिक कार्यक्रम होगा।
- **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में मुख्य तौर पर चार चीजों पर फोकस किया गया है-**
    - **हेल्थ आईडी:** राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत, प्रत्येक भारतीय को एक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी जिसमें किसी व्यक्ति की बीमारी, चिकित्सा रिपोर्ट, दवा निर्धारित और सलाहकार डॉक्टर के विवरण के बारे में जानकारी होगी। प्रत्येक भारतीय के लिए व्यक्तिगत डिजिटल स्वास्थ्य आईडी को निर्मित करने हेतु ढांचा विकसित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के डिजिटल स्वास्थ्य एकाउंट के माध्यम से अपनी डिजिटल स्वास्थ्य आईडी को निर्मित कर सकेगा।
    - **डॉक्टरों की रजिस्ट्री-** देश भर के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और चिकित्सकों का 'डिजी डॉक्टर' (digi doctor) नामक प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि इनके बारे में भी सूचनाओं का एक व्यापक केन्द्रीय भंडार तैयार किया जा सके। इससे वन-स्टाप समाधान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
    - **देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की रजिस्ट्री:** एक स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (health facility registry) होगी, जिसमें भारत में विशिष्ट रूप से पहचानी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं (यथा- ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन जैसी स्वास्थ्य सेवाएँ) के बारे में जानकारी रहेगी, जो मानकीकृत डेटा के आदान-प्रदान को बनाए रखने, संग्रहित करने इत्यादि की सुविधा प्रदान करेगी।
    - **डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड:** यह प्रणाली मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करेगी, जिसमें विभिन्न दस्तावेजों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और डॉक्टरों द्वारा साझा की गयी नैदानिक रिपोर्ट, डिस्चार्ज सारांश व पर्चे इत्यादि। यह रोगियों की प्रभावी ढंग से देखभाल करने में मदद करेगी।

एनडीएचएम के लाभ

- यह बिखरे हुए स्वास्थ्य डाटा को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। इसके माध्यम से अच्छी गुणवत्ता के स्वास्थ्य डाटा का संग्रह, भंडारण और प्रसार सुनिश्चित हो सकेगा।
- एनडीएचएम प्लेटफॉर्म पर उपस्थित स्वास्थ्य डाटा को बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से स्वास्थ्य डाटा को विकसित किया जा सकेगा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान और विकास उद्देश्यों को बढ़ावा मिलेगा।
- जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस आदि जैसे प्रकोपों की आसान और प्रभावी निगरानी हो सकेगी।
- सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन हो सकेगा। वर्तमान में आयुष्मान भारत के अलावा विभिन्न राज्यों में कई स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं। बिना एकीकरण के इनका प्रभावी कार्यान्वयन मुश्किल है।
- भविष्य के चिकित्सा क्षेत्रों (यथा- जीन-आधारित चिकित्सा आदि) का विकास हो सकेगा।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन सतत विकास लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद करेगा।

एनडीएचएम का उद्देश्य

रोगी केंद्रित स्वास्थ्य देखभालः

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अधिक रोगी केंद्रित बनाना है।
- इस प्रणाली से मरीज को सुविधा मिलेगी जिससे मरीज को पुराने रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। रोगी के डेटा तक डिजिटल पहुंच से अधिक प्रभावी निदान हो सकता है।
- डिजिटल डेटा विशेष रूप से चिकित्सा इतिहास लेने और अनुचित परीक्षणों की पुनरावृत्ति से बचने के साथ आपात स्थिति में, शीघ्र और सटीक उपचार प्रदान करने में मदद करेगा।

सामर्थ्यः

- डिजिटल स्वास्थ्य सस्ती लागत पर बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

बेहतर पहुंचः

- NDHM छोटे शहरों और दूरदराज के स्थानों में रोगियों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ टेलीमेडिसिन के माध्यम से परामर्श को बढ़ावा प्रदान करके पहुंच में सुधार करने में मदद करेगा।
- टेलीमेडिसिन और ई-फार्मेसी की शुरूआत अधिक समावेशिता लाएगी। एनडीएचएम ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद कर सकता है।

गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखभालः

- डॉक्टरों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने से गुणवत्ता और जवाबदेही के कई मुद्दों को व्यवस्थित किया जा सकता है।

हितधारकों को एकीकृत करनाः

- NDHM भारत की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। NDHM को एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में जोड़ने से हितधारकों जैसे कि डॉक्टरों, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच की खाई को कम करने में सहायक होगा।

डेटा की उपयोगिता :

- रिकॉर्ड से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के उपयोग से रोग पैटर्न सीखने, बीमारियों की शुरुआत का अनुमान लगाने और मौसमी प्रकोपों का सुझाव देने में मदद मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा में प्रभावकारिता और प्रभावशीलता आएगी।

चुनौतियाँ

- हालाँकि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आएगा परन्तु वर्तमान में इसके समक्ष कई चुनौतियाँ भी है उनमें से कुछ निम्नलिखित है:

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँः

- देश में मेडिकल रिकॉर्ड के भंडारण और पुनर्प्राप्ति में प्रस्तावित बदलाव को प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के इंटरफेस के डिजिटल एकीकरण को प्राप्त करना होगा।
- भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी को देखते हुए, निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को NDHM के तहत लाना और दर्ज की गई जानकारी की विश्वसनीयता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित करना होगा।
- वर्तमान में, सभी बीमारियों का 66 प्रतिशत उपचार निजी अस्पतालों और क्लीनिकों द्वारा किया जाता है
- डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथोलॉजी लैब का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जाता है।

डिजिटल अर्थबोध में कमीः

- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी की कम समझ NDHM द्वारा दी जाने वाली समावेशिता और पहुंच की क्षमता को सुनिश्चित करने में एक चुनौती होगी।

डाटा प्राइवेसीः

- एनडीएचएम में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दे एक प्रमुख चिंता का विषय होगा।
- नैतिक मुद्दों से निपटना, गोपनीयता भंग करना और सामाजिक कलंक से निपटना एनडीएचएम के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनाः

- NDHM के लिए सबसे बड़ी बाधा भारत का अल्प स्वास्थ्य बजट है।
- वर्तमान में, भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय (निजी और सार्वजनिक दोनों) स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय का केवल 3.6 प्रतिशत है, वहीं देश की जीडीपी का 1 प्रतिशत से ऊपर है, जो उन देशों की तुलना में कम है जहां दुनिया में सबसे अच्छा डिजिटल स्वास्थ्य सिस्टम है।

आगे की राह

- कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा की नितांत आवश्यकता है, अतः इस उद्देश्य को पाने में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
- कुछ विशेषज्ञ राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से उपजने वाले निजता के अधिकार के उल्लंघन की भी बात कर रहे हैं, अतः सरकार को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा।
- सरकार को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर अधिक बल देना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या है? यह भारत के स्वास्थ्य ढाँचे को किस प्रकार मजबूत बनाएगा ? संक्षेप में चर्चा करें।

06 सार्वजनिक बैंकों के संदर्भ में सरकार और आरबीआई की दुविधा

चर्चा का कारण

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी नई पुस्तक "ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर" में 'दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड' और बैड लोन के नियमों में ढील देने पर वर्तमान सरकार की आलोचना की है। यह पुस्तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है।

परिचय

- उर्जित पटेल के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऊपर संप्रभु (सरकार) और नियामक (RBI) द्वारा निम्नलिखित दुविधाओं का सामना करना पड़ता है:
  (i) बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) का प्रभुत्व है;
  (ii) स्वतंत्र विनियमन बनाए रखना; तथा
  (iii) सार्वजनिक ऋण-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लक्ष्यों का पालन करना।
- आरबीआई के साथ सरकार एक ही समय में सभी तीन बिंदुओं को प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकती है। तीन में से केवल दो को ही हासिल किया जा सकता है।
- सार्वजनिक बैंकों के प्रभुत्व के साथ आरबीआई द्वारा स्वतंत्र विनियमन।
- सार्वजनिक बैंकों के प्रभुत्व के साथ सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- ऊर्जित पटेल के अनुसार सरकार चाहती है कि बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का प्रभुत्व हो और साथ ही यह सुनिश्चित हो कि सार्वजनिक ऋण में वृद्धि न हो।
- 2019 में, भारत ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष पूरे किए हैं। जानकारों का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उद्देश्यों का मूल्यांकन करना आवश्यक है । जिन बैंकों में सरकार के पास 51% की हिस्सेदारी होती है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उदाहरण हैं; पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि। वर्तमान में भारत में 1 सरकारी स्वामित्व वाले पेमेंट्स बैंक के साथ कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।
- भारत का बैंकिंग क्षेत्र अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए बहुत ही कम विकसित है। भारतीय बैंकिंग में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बाजार हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है, भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का श्रेय उन पर पड़ता है। फिर भी प्रत्येक प्रदर्शन या पैरामीटर पर, पीएसबी अपने सहकर्मी या यू कहें कि निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अक्षम हैं। 2019 में, पीएसबी में निवेश किए गए करदाताओं के प्रत्येक रुपये में से औसतन 23 पैसे का नुकसान हुआ। इसके विपरीत, निवेशकों ने नए निजी बैंकों में (new private banks -NPBs) एक रुपये के निवेश में औसतन 9.6 पैसे का लाभ कमाया। इसके अलावा, PSB में वृद्धि दर पिछले कई वर्षों से NPB की तुलना में बहुत कम है।

ऐसी परिस्थिति में क्या होगा?

- ऐसी परिस्थिति में रिजर्व बैंक को स्वतंत्र विनियमन के साथ समझौता करना पड़ेगा।
- बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक बैंकों के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए उन्हें अधिक मात्रा में और शीघ्रता से ऋण का वितरण करना होगा।
- इससे खराब ऋण और एनपीए में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- जब खराब ऋण की वसूली समय पर नहीं होगी तो सरकार को ऐसे सार्वजनिक बैंकों को चलाए रखने के लिए अधिक धन निवेश करना पड़ेगा।
- अगर सरकार सार्वजनिक बैंकों में ज्यादा पैसा लगाती है तो इससे सरकार का व्यय बढ़ेगा।
- अंततः सरकार को इस व्यय की पूर्ति के लिए अधिक धनराशि उधार लेनी होगी, जो सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात में वृद्धि करेगा।

सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात को कम रखने का उपाय

- सार्वजनिक बैंकों द्वारा खराब ऋण की पहचान के लिए अपनाए जाने वाले नियमों को केंद्रीय बैंक द्वारा कुछ लचीला बनाना चाहिए।
- इससे सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट में खराब ऋण कम होंगे और सरकार को तत्काल इन बैंकों में निवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इससे पीएसबी का बाजार में अधिक हिस्सा होगा और सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात में वृद्धि भी नहीं होगी। यह तभी संभव होगा जब केंद्रीय बैंक को बैंकिंग नियमों में कुछ लचीलापन लाएगी।
- जब आरबीआई नियमों को कमजोर करता है, तो बैंक पर खराब ऋण का प्रभाव कम होता है। बैंक द्वारा खराब ऋण के संबंध में लिए गए ये निर्णय तात्कालिक रूप से समस्या का निदान जरूर करते हैं, लेकिन दीर्घकाल में यह एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है।
- यह ठीक वैसे ही है जैसे मार्च 2018 तक सार्वजनिक बैंकों का संचित खराब ऋण 8.96 ट्रिलियन के शिखर के शिखर पर पहुँच गया था।
- इस प्रकार दीर्घावधि में सरकार को इन बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करना पड़ेगा तब इस प्रक्रिया में, यह सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात निश्चित रूप अधिक बढ़ जाएगा।
- यह एक ऐसी स्थिति है जिससे बचने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कमी करनी चाहिए। हालांकि सरकार धीरे-धीरे सार्वजनिक बैंकों में अपने हिस्से कम कर रही है।
- पिछले दशक में सार्वजनिक बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी जहाँ 75.1% थी वहीं अब 57.5% है।
- अत: यदि सार्वजनिक बैंकों में सरकार हिस्सा घटता है, तो आने वाले दशकों में सरकार और केंद्रीय बैंक के लिए समस्या कम हो सकती हैं।
- हालांकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर द्वारा प्रस्तुत इस दुविधा का सामना करने के लिए अनियंत्रित निजीकरण इसका समाधान नहीं हो सकता है।
- इसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहां निजी बैंकों की वित्तीय विफलता के लिए भी एक समाधान प्रक्रिया को विकसित करना होगा।
- इन मानदंडों में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

प्र. भारत का बैंकिंग क्षेत्र अपनी अर्थव्यवस्था का आकार देखते हुए बहुत ही कम विकसित है । चर्चा करें

07 न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर माँग और विकास में सुधार

संदर्भ

- भारत में COVID -19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन और प्रतिबंधों के बाद लोगों के रोजगार और आय में कमी के चलते घरेलू मांग में कमी देखी गयी है। जानकारों का मानना है कि आर्थिक पुनरुद्धार के लिए घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है क्योंकि निकट भविष्य में बाहरी मांग (निर्यात) में वृद्धि की संभावना कम ही दिख रही है।
- इसके अलावा अर्थव्यवस्था में आई मंदी सिर्फ जीडीपी के सिकुड़ने जितनी बात नहीं है, सही मायने में यह बीते कई वर्षों में अर्जित आर्थिक विकास के सिकुड़ने का क्रम भी है। इसमें वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद गरीबी से बाहर निकाली गई आबादी, बड़े स्तर पर रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय दर में वृद्धि, लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार आदि में अर्जित सफलता के निराशा में बदल जाने की प्रबल आशंका है। कोविड-19 के दौर में मंदी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजगार, गरीबी, आय जैसे महत्वपूर्ण आयामों पर काफी पीछे ले जा सकती है।

परिचय

- आर्थिक मंदी सिर्फ हमें कमजोर नहीं करती बल्कि ज्यादा भयावह इसलिए हो जाती है क्योंकि यह एक नए मोड़ पर ले जाकर छोड़ देती है। कोविड-19 के चलते यह वह मंदी है जो एक अनिश्चित मोड़ पर ले जाकर हमें खड़ा कर देगी। एक भयंकर बेरोजगारी की समस्या निकट भविष्य में आने वाली है और यही बेरोजगारी की समस्या भविष्य में गरीबी और आय असमानता की गंभीर समस्या को पैदा करेगी। वर्तमान में रोजगार की तीन श्रेणियां इस पूरे संकट में बनती दिख रही हैं।
    - पहली श्रेणी उन लोगों की है, जिनका रोजगार हमेशा के लिए छिन जाएगा।
    - दूसरी उन लोगों की है, जो मंदी की वजह से अपने पुराने काम पर वापस लौट जाएंगे और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त हो जाएगा।
    - तीसरी श्रेणी उन लोगों की है, जो नए उद्योगों और देश की सरकारों के भरोसे रोजगार की आस देख रहे हैं।
- कोविड-19 की गंभीर महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल के पहले हफ्ते में बेरोजगारी दर 23 फीसदी पहुंच गई थी। तकरीबन 12 करोड़ नौकरियों के जाने की बात कही गई थी। उस दौरान देश में कुल 40.4 करोड़ रोजगार उपलब्ध थे, जिनमें से 8.12 करोड़ रोजगार वेतनभोगी थे। बाकी बचे 32 करोड़ रोजगार वे थे जो दैनिक मजदूरी या स्वरोजगार में थे। लेकिन, भारत में यह बेकारी की समस्या महज कोविड-19 की वजह से ही नहीं आई है, बल्कि यह पहले से ही चल रही थी। एनएसएसओ के मुताबिक, वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी थी। यह 45 साल का सबसे उच्चतम स्तर था।

भारत में अनौपचारिक श्रमिकों की आय

- भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपेक्षाकृत निम्न भुगतान वाले अनौपचारिक कार्यों में फंसा हुआ है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार 10 प्रतिशत से भी कम कर्मचारी नियमित औपचारिक नौकरियों में संलग्न हैं, जो एक गरिमा युक्त जीवन स्तर के लिए उचित न्यूनतम वेतन से अधिक आय (लगभग 26,000 रुपये प्रति माह) अर्जित करते हैं।
- 14 प्रतिशत श्रमिक संगठित क्षेत्र के अनौपचारिक रोजगार में संलग्न हैं, जिनकी औसत मासिक आय 9,500 रुपये के लगभग है। यह आय न्यूनतम औसत मजदूरी के लगभग बराबर या थोड़ा कम है।
- कुल कार्यबल का 50% स्वरोजगार में संलग्न है, जिसकी औसत आय रु 8400 प्रति माह है।

- 24 प्रतिशत कार्यबल ऐसा है जिसे नियमित रूप से काम ही नहीं मिलता है और उनकी मजदूरी भी औसतन 209 रुपये प्रतिदिन है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े यह दिखाते हैं कि भारत की रोजगार की चुनौती के साथ अपर्याप्त आय की चुनौती भी शामिल है। स्व-नियोजित और अनियमित श्रमिकों की आय गरिमा युक्त जीवन स्तर के लिए उचित न्यूनतम मजदूरी से भी कम है जो खपत की मांग उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- इतनी मजदूरी से केवल निर्वाह के स्तर को बनाए रखने वाली आय अर्जित हो पाती है, इससे मांग पैदा नहीं हो सकती है।

आय में वृद्धि हेतु सुझाव

- वर्तमान में, भारत में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया काफी जटिल है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित कुछ उद्योगों या क्षेत्रों में व्यवसाय के प्रकार और कौशल के स्तर के आधार पर अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। वेतन संहिता (2019) में न्यूनतम मजदूरी को सार्वभौमिक बनाने और उसे असंगठित क्षेत्र तक विस्तारित करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इसका उद्देश्य प्रशंसनीय है, परंतु अनौपचारिक कार्य व्यवस्था और स्व-रोजगार की प्रभाविकता के कारण श्रम बाजार में इसका प्रवर्तन चुनौतियों से भरा हुआ है। आय में वृद्धि निम्नलिखित दो प्रमुख तरीके से हो सकती हैं:
    - अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में वृद्धि
    - न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना

इसके लिए निम्नलिखित सुझावों को अपनाया जा सकता है-

- **अनियमित मजदूरों पर ध्यान:** कृषि और भवन निर्माण दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां 80% से अधिक अनियमित मजदूरी वाला श्रम बल संलग्न है। इन क्षेत्रों में गरिमा युक्त जीवन स्तर के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित करने से आकस्मिक श्रम की आय बढ़ेगी, जिससे उनमें उपभोग की मांग भी बढ़ेगी। इससे बाजार की ताकतों के कारण अन्य अनौपचारिक श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा।
- **सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना:** अकुशल श्रमिकों को रोजगार के लिए मनरेगा जैसे सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अंतर्गत लोगों को पूरे वर्ष रोजगार मिलना चाहिए। इसे शहरी क्षेत्रों में बढ़ाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य क्षेत्र मनरेगा की ओर श्रमिकों के पलायन करने के डर से एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेंगे।
- **एक गरिमा पूर्ण जीवन स्तर के न्यूनतम मजदूरी का मानक:** न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने में वर्तमान मानदंड केवल जीवन निर्वाह और गरीबी से बाहर लाने पर ही आधारित हैं। इसे इस प्रकार बदला जाना चाहिए कि आय सिर्फ जीवन निर्वाह तक सीमित न रहे बल्कि उपभोग मांग में भी वृद्धि करे।
- इसके लिए अनूप सत्पथी समिति 9,750 रुपये के मासिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए। इस न्यूनतम वेतन को नियमित अनौपचारिक श्रमिकों की आय से भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन के वार्षिक उन्नयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- अनियमित श्रम और सार्वजनिक अकुशल रोजगार की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर, आय पिरामिड के आधार में शामिल आबादी की उपभोग मांग को बढ़ाया जा सकता है। इससे भारत में जीवन स्तर और आय असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही सतत आर्थिक विकास को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं के लिए एक पूरक रणनीति भी साबित हो सकती है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. मांग और विकास के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है तथा इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए?

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 टिक बोर्न वायरस

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में एक नए टिक बोर्न वायरस के कारण 'थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम सहित तेज बुखार' (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome- SFTS) नामक बीमारी से चीन में लगभग 7 लोगों की मौत हो गयी और कम से कम 60 लोग संक्रमित पाए गये हैं।
- रिपोर्ट किए गए मामलों की एक बड़ी संख्या पूर्वी चीन के जिआंगसु और अनहुई प्रांतों में केंद्रित थी।

2. SFTS वायरस

- SFTS वायरस, वायरल बीमारी बनीवियर्स परिवार से संबंधित है और यह बीमारी मनुष्यों में किलनी (टिक) जैसे कीड़े के काटने से फैलती है। वैज्ञानिकों को अनुसार इस वायरस से मनुष्य से मनुष्य में संक्रमित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- सबसे पहले इस वायरस की पहचान चीन में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा एक दशक पहले की गयी थी।

3. वाहक

- वायरोलॉजिस्ट मानते हैं कि एक एशियाई टिक जिसे हेमाफिसलिस लॉन्गिकोर्निस कहा जाता है, वायरस का प्राथमिक वेक्टर या वाहक है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायरस प्रायः बकरियों, मवेशियों, हिरणों और भेड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। वायरस से संक्रमित होने के बावजूद, जानवरों में आमतौर पर एसएफटीएसवी से जुड़े कोई लक्षण नहीं दिखते हैं।
- किसान, शिकारी और पालतू पशु मालिक विशेष रूप से इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं क्योंकि वे नियमित रूप से उन जानवरों के संपर्क में रहते हैं।
- गौरतलब है कि चीन के बाहर यह वायरस जापान और दक्षिण कोरिया सहित अन्य पूर्व एशियाई देशों में भी पाया गया है।

4. SFTFS वायरस के लक्षण

- वर्ष 2011 में चीनी शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, बीमारी की शुरुआत के बाद रोगोद्भवन अवधि (incubation period) सात से तेरह दिनों के बीच होती है।
- बीमारी के शुरुआती चेतावनी संकेत में गंभीर बुखार, कम प्लेटलेट्स काउंट और ल्यूकोसाइटोपेनिया शामिल हैं।
- बाद में बीमारी से पीड़ित रोगियों में आमतौर पर विभिन्न लक्षण पाए जाते है, जिनमें बुखार, थकान, ठंड लगना, सिरदर्द, लसीका तंत्र में समस्या (lymphadenopathy), क्षुधा-अभाव, मचली, दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, मसूड़ों से रक्तस्राव, नेत्र रोग आदि सम्मिलित हैं।

5. SFTS का उपचार

- इस बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन अभी तक सफलतापूर्वक विकसित नहीं हुई है हालाँकि एंटीवायरल दवा रिबाविरिन को बीमारी के इलाज में प्रभावी माना जाता है।
- साथ ही वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे-जैसे अधिक लोग वायरस और इसके कारण होने वाली बीमारी के बारे में जागरूक होते गए हैं, संक्रमण की घातक दर में काफी गिरावट आने लगी है।

6. निष्कर्ष

- SARS-CoV-2 के विपरीत, यह पहली बार नहीं है जब SFTS वायरस ने लोगों को संक्रमित किया है। हालिया मामलों की पहचान केवल बीमारी के फिर से उभरने का प्रतीक है।
- चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान मामले में मृत्यु दर लगभग 16 से 30 प्रतिशत के बीच है।
- जिस दर से यह वायरस फैलता है और इसकी उच्च मृत्यु दर के कारण, SFTS वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

02 प्रॉयरिटी सेक्टर लेंडिंग में स्टार्टअप शामिल

1. चर्चा का कारण

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण प्रदान करने के अपने नियमों में बड़े बदलाव करते हुए स्टार्टअप को बैंक ऋण के लिहाज से प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया है।

2. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्रॉयरिटी सेक्टर लेंडिंग)

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया गया ऐसा उपकरण है, जो बैंक के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, गरीब लोगों के लिए आवास, विद्यर्थियों के लिए शिक्षा और अन्य निम्न आय वर्ग और कमजोर वर्ग को उधारी देने के लिए होता है।
- प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कृषि, MSMEs, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढाँचे, निर्यात ऋण, अक्षय ऊर्जा, आदि हैं।

3. PSL हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के दिशानिर्देश

- वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किये गए कुल शुद्ध ऋण का 40% प्राथमिकता क्षेत्र को देना आवश्यक है।
- प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 10% या कुल शुद्ध बैंक ऋण का 10%, जो भी अधिक हो, कमजोर वर्ग को दिया जाना चाहिए।
- कुल शुद्ध बैंक ऋण का 18% कृषि अग्रिमों के रूप में दिया जाना चाहिए। कृषि के लिए ऋणों के 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों के लिए, समायोजित कुल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit- ANBC) का 8 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ANBC के 7.5 प्रतिशत अथवा बैलेंस शीट से इतर एक्सपोजर की सममूल्य राशि (Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet Exposure), इनमें से जो भी अधिक हो, का ऋण सूक्ष्म उद्यमों को लिए दिया जाना चाहिए।

4. महत्व

- आरबीआई द्वारा स्टार्ट-अप्स (MSMEs से अलग) को ऋण देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। स्टार्ट-अप्स के लिए ऋण प्राप्त करना आसान नहीं है, तथा इनके सामने पारंपरिक ऋणदाताओं के समक्ष ऋण पात्रता साबित करने की मुश्किल रहती है।
- शुरुआती स्टार्टअप ज्यादातर बूटस्ट्रैप्ड या दोस्तों और परिवार के वित्त पोषित होते हैं। रिजर्व बैंक का यह निर्णय, स्टार्ट-अप्स के लिए सस्ते और आसान ऋण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- चूंकि भारतीय उद्यमियों के सामने, वित्त की कमी तथा उपभोक्ताओं के स्तर पर विश्वास में कमी दो प्रमुख चुनौतियां रहती है, अत: आरबीआई का यह कदम इनके लिए बूस्टर साबित होगा।
- यह कदम स्टार्ट-अप्स को उनकी इक्विटी को मुक्त करने और कम लागत वाले ऋण को बढ़ाने में मदद करेगा।

5. स्टार्टअप पर COVID-19 का प्रभाव

- फिक्की के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 70% स्टार्ट-अप ने कहा कि उनके कारोबार को कोविड-19 ने प्रभावित किया है, जबकि 12% स्टार्ट-अप का संचालन बंद है और 60% व्यवधानों के साथ काम कर रहे हैं।
- कारोबारी माहौल में अनिश्चितता और सरकार के साथ-साथ कॉरपोरेट्स की प्राथमिकताओं में अप्रत्याशित बदलाव के साथ, कई स्टार्ट-अप अपने संचालन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- RBI द्वारा उठाए गए कदमों से उन स्टार्ट-अप को मदद मिलेगी, जो कोविड -19 महामारी से प्रभावित हुआ था।
- स्टार्ट-अप को पीएसएल में शामिल करने से एक लंबा रास्ता तय होगा और इस क्षेत्र की परिचालन दक्षता में सुधार होगा।

03 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG)

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम इस पद पर 1860 में एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 1936 के लेखा और लेखा परीक्षक आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों और कार्यों का प्रावधान किया।
- आजादी के बाद इस पद को संवैधानिक पद के रूप में स्थापित किया गया और आज यह हमारे संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।

3. CAG

- भारत के संविधान के भाग V के अंतर्गत अध्याय V में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है।
- ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ये सार्वजनिक धन के संरक्षक है और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करते हैं।
- इनका कर्तव्य भारत के संविधान एवं संसद के कानून के अंतर्गत वित्तीय प्रशासन को बनाए रखना है।
- डा. अम्बेडकर ने कैग को भारतीय संविधान का सबसे अहम् प्राधिकारी बताया था।

4. कैग के कर्तव्य एवं शक्तियां

- अनुच्छेद-149 से 151 के तहत कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 149 में बताया गया है कि कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को संसद तय करेगा। इसका काम केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी संगठनों के सभी खर्चों का ऑडिट करना है यानी हर उस संस्था का ऑडिट जिसमें जनता का पैसा लगा होता है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि तथा प्रत्येक संघ शासित प्रदेश, जहाँ विधान सभा हो, से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।
- वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है।
- कैग ऑडिट के तहत आने वाले किसी कार्यालय या संगठन और इसके सभी लेन-देनों की जांच कर सकता है, रिकार्ड, पेपर या दस्तावेज मांग सकता है। साथ ही सम्बंधित कार्यकारी से प्रश्न भी पूँछ सकता है।
- ऑडिट की सीमा और स्वरूप कैसा हो कैग इस पर भी निर्णय ले सकता है।

5. कैग ऑडिट को दो भागों में बांटा गया है

- **रेग्युलेरिटी ऑडिट:** रेग्युलेरिटी ऑडिट में फाइनेंसियल स्टेटमेंट का ऐनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें सभी नियम-कानून का पालन किया गया है या नहीं। इसे कम्पलायंस ऑडिट भी कहते हैं।
- **परफॉर्मेंस ऑडिट:** परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग यह पता करता है कि क्या सरकारी प्रोग्राम शुरू करने का जो मकसद था, वह कम से कम खर्च में सही तरीके से हासिल हो पाया है या नहीं।

6. CAG और लोक लेखा समिति (PAC)

- CAG, संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee–PAC) के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।
- CAG अपने अधिदेशित विनियामक और लेखा परीक्षा दायित्वों के अतिरिक्त कार्यकारिणी द्वारा लोक वित्त के समुचित व्यय किये जाने की भी निगरानी करता है।

7. निष्कर्ष

- भारत में CAG की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा अपने पसंद के व्यक्ति के रूप में की जाती है जबकि विश्व में ऐसा नहीं है। समीक्षकों का मानना है कि कैग की नियुक्ति मुख्य सतकर्ता आयुक्त की तरह होना चाहिए।
- सरकारी धन और भ्रष्टाचार के कई आरोपों के न रूकने से यह कहा जा रहा है कि कैग को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करना चाहिए।
- कई बार सरकारी संगठनों के पास किसी कार्यक्रम पर होने वाले खर्च को लेकर बेहतर विचार होता है जिसके साथ कैग को तालमेल का प्रयास करना चाहिए।

04 सोने की कीमतों में गिरावट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत में सोने की कीमतें, जो बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के साथ मिलकर चलती हैं, में तेजी से गिरावट आई है। भारत में सोने की कीमतें लगभग 5,000 प्रति 10 ग्राम तक गिर गई हैं जबकि चांदी 14,000 प्रति किलोग्राम गिर गई है।

2. पृष्ठभूमि

- वैश्विक वित्तीय बाजारों में अशांति के समय में सोना आमतौर पर एक सुरक्षित परिसंपति के रूप में देखा जाता है और ऐसे समय में सोने की कीमतों में तेजी भी आती है। उदाहरणस्वरूप –
  - 1979 में कई युद्ध हुए और उस साल सोना करीब 120 फीसदी वृद्धि पर था। अभी हाल ही में 2014 में सीरिया पर अमेरिका का खतरा मंडरा रहा था तो भी सोने के दाम आसमान छूने लगे थे। इसके अलावा जब ईरान से अमेरिका का तनाव बढ़ा या फिर जब चीन-अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति बनी, तब भी सोने की कीमत बढ़ी।
  - वर्तमान में कोरोनोवायरस महामारी के समय में भी सोना एक पसंदीदा सुरक्षित परिसंपत्ति वर्ग के रूप में सामने आया था, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की, साथ ही केंद्रीय बैंकों और सरकारों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन करने के लिए प्रेरित किया।

3. सोने की कीमतों में गिरावट का कारण

- हाल ही में वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतों में 4% की गिरावट आई। इस गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा इसका कारण रूस द्वारा की गयी दुनिया के पहले कोविड वैक्सीन की घोषणा को बताया जा रहा है।
- इसके अलावा अन्य कारणों में अमेरिका-चीन के बढ़ते तनाव और डॉलर में तेजी भी शामिल है। इसकी वजह से सोने के व्यापारी न केवल सचेत होकर चल रहे हैं बल्कि बहुत से लोग अब सोने में मुनाफावसूली भी करने लगे हैं।

4. सोने की कीमतों में गिरावट: भारत पर प्रभाव

- वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सोने का आयात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 94 प्रतिशत घटकर 68.8 करोड़ डॉलर या 5,160 करोड़ रुपये पर आ गया।
- भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से सोने की मांग में गिरावट आई है, जिससे सोने का आयात भी नीचे आ गया है।

5. भारत में सोने की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

- **उपभोग की मांग:** भारत में सोने की मांग संस्कृति, परंपरा, सुंदरता और वित्तीय सुरक्षा की इच्छा से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) द्वारा कमीशन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय उपभोक्ता सोने को निवेश और श्रृंगार दोनों के रूप में देखते हैं।
- **अर्थव्यवस्था में अस्थिरता:** इसके अलावा लोग खुद को अस्थिरता और अनिश्चितता से बचाने के लिए सोने का निवेश या खरीदना चाहते हैं। अच्छे व बुरे समय में निवेशकों के लिए एक संपत्ति के रूप में सोना हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है।
- **मुद्रास्फीति:** जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और इसलिए लोग सोने के रूप में पैसा जमा करते हैं। इसलिए, ऐसे समय में जब मुद्रास्फीति लंबी अवधि तक अधिक रहती है तो सोना मुद्रास्फीति की स्थिति के खिलाफ बचाव का साधन बन जाता है। इससे मुद्रास्फीति की अवधि में सोने की कीमतें अधिक हो जाती हैं।
- **मानसून:** ग्रामीण मांग देश में सोने की मांग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर फसल अच्छी होती है, तो किसान संपत्ति बनाने के लिए अपनी कमाई से सोना खरीदते हैं। इसके विपरीत, यदि मानसून में कमी होती है, तो किसान धन उत्पन्न करने के लिए सोना बेचते हैं।
- **रूपये-डॉलर का संबंध:** भारतीय सोने की दरों में रुपये-डॉलर के समीकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, हालांकि यह वैश्विक सोने की कीमतों को प्रभावित नहीं करता है। सोना बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है और इसलिए यदि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो, रुपये में कमी से देश में सोने की मांग में कमी आ सकती है।
- **आपूर्ति में कमी:** कुछ अनुमानों के मुताबिक, सोने की वैश्विक मांग आपूर्ति की तुलना में 1,000 टन अधिक है। नई खनन क्षमता नहीं होने के कारण, अधिकांश सोने को पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है। इसलिए, सोने की दरों में बदलाव के लिए आपूर्ति का कम होना एक अन्य कारक है।

05 बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्टिंग

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) द्वारा 'कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग' (Business responsibility report – BRR) पर गठित समिति ने रिपोर्ट' जारी की है।

2. पृष्ठभूमि

- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनियों का 'उत्तरदायी कारोबार संचालन' सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल करता रहा है। कंपनी जवाबदेही की अवधारणा को मुख्य धारा में लाने की दिशा में पहले कदम के रूप में 'कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर स्वैच्छिक दिशा-निर्देश' वर्ष 2009 में जारी किए गए थे। इसके पश्चात कारोबारी हस्तियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसायटी संगठनों और सरकार के साथ व्यापक सलाह-मशविरा के बाद 'कंपनियों की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश (एनवीजी), 2011' के रूप में इन दिशा-निर्देशों में संशोधन किए गए।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वर्ष 2012 में अपने 'सूचीबद्धता नियमनों' के जरिए बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से शीर्ष 100 सूचीबद्ध निकायों के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस संबंधी नजरिए से 'कंपनी जवाबदेही रिपोर्ट (बीआरआर)' पेश करना अनिवार्य कर दिया।
- इन बीआरआर ने कंपनियों को एनवीजी सिद्धांतों और संबंधित मुख्य तत्वों को अपनाए जाने का सही ढंग से प्रदर्शन करने में सक्षम किया, जिसका उद्देश्य कंपनियों को नियामकीय वित्तीय अनुपालन से परे जाकर अपने हितधारकों के साथ और भी अधिक सार्थक रूप से जोड़ना है। वित्त वर्ष 2015-16 में शीर्ष 500 कंपनियों के लिए और दिसंबर, 2019 में शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए बीआरआर पेश करना अनिवार्य कर दिया गया।

2. रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

- भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की आकांक्षा रखती हैं, ऐसे में वे कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी 'उत्तरदायी कारोबार' के उभरते रुझान को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं।
- अपनी रिपोर्ट में समिति ने गैर-वित्तीय मापदंडों पर रिपोर्टिंग के उद्देश्य और दायरे को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए 'कंपनी जवाबदेही एवं निरंतरता रिपोर्ट (बीआरएसआर)' नामक एक नई रिपोर्टिंग रूपरेखा की सिफारिश की है।
- समिति ने यह भी सिफारिश की कि रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर अमल क्रमिक और चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि बीआरएसआर को एमसीए 21 पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया जाए।
- एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में समिति का मानना यह है कि बीआरएसआर फाइलिंग के माध्यम से प्राप्त होने वाली जानकारियों का उपयोग कंपनियों के लिए एक 'कंपनी जवाबदेही-निरंतरता सूचकांक' विकसित करने में किया जाना चाहिए।

5. समिति का गठन

- एनजीआरबीसी' को अपडेट एवं तैयार करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नए बीआरआर प्रारूपों को विकसित करने हेतु 'कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग पर समिति' का गठन किया था। समिति में एमसीए, सेबी, तीन प्रोफेशनल संस्थानों के प्रतिनिधि और दो प्रतिष्ठित प्रोफेशनल शामिल थे, जिन्होंने एनजीआरबीसी को विकसित करने पर काम किया था।

4. बीआरआर क्या है?

- यह किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अपने सभी हितधारकों के लिए 'उत्तरदायी कारोबार संचालन' प्रक्रियायें अपनाने का प्रकाशन है। कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग (Business Responsibility Reporting- BRR) विनिर्माण, सेवाओं आदि सहित सभी प्रकार की कंपनियों के लिए लागू होती है।

06 तेंदुओं के अवैध शिकार पर 'ट्रैफिक इंडिया' का अध्ययन

1. चर्चा का कारण

- ट्रैफिक इंडिया (TRAFFIC India) द्वारा तेंदुओं (Panthera pardus fusca) की मृत्यु दर पर किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत में 2015-2019 के बीच कुल 747 तेंदुए की मौत हुई। इनमें, 596 मौतें अवैध वन्यजीव व्यापार और अवैध शिकार से जुड़ी गतिविधियों से हुई थी।

2. प्रमुख बिन्दु

- TRAFFIC इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार इन वर्षों के दौरान शिकारियों द्वारा 140 तेंदुए मारे गए थे और उनके शवों को वन क्षेत्रों से बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विभिन्न अभियानों के दौरान 456 तेंदुओं के शरीर के अंगों को जब्त किया गया था।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सबसे अधिक अवैध शिकार की घटनाएं दर्ज की गई। 2015 से 2019 की अवधि के दौरान, उत्तराखंड में तेंदुए के शरीर के अंगों की बरामदगी के 140 से अधिक मामले थे, और लगभग 19 मौतें अवैध शिकार से जुड़ी थीं।
- 2015 से 2019 के बीच महाराष्ट्र में तेंदुए के शरीर के अंगों को जब्त करने के 40 से अधिक मामले और अवैध शिकार के 16 मामले दर्ज किए गए।
- 2015 से 2019 के बीच भारतीय तेंदुओं की आबादी में 75% से 90% की गिरावट दर्ज की गई।

3. अवैध शिकार में बढ़ोतरी क्यों?

- अवैध वन्यजीव व्यापार में खाल (Skin) सबसे अधिक मांग वाला उत्पाद रहा, जबकि पंजे, दांत और हड्डियों आदि का भी अवैध कारोबार किया गया।
- यह भी माना जाता है कि तेंदुए की हड्डियों को संभवतः बाघ की हड्डियों के रूप में कारोबार किया जाता है। जानकारों का मानना है कि बाघ व तेंदुओं की हड्डियों का प्रयोग पारंपरिक दवाओं में किया जाता है जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी मांग रहती है।

4. तेंदुओं की अंतिम औपचारिक गणना

- 2014 में भारत के तेंदुओं की अंतिम औपचारिक गणना के अनुसार इनकी आबादी 12,000 से 14,000 के बीच है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि, सिकुड़ते निवास और अवैध व्यापार से उत्पन्न होने की आशंका से, विशेषज्ञों का सुझाव है कि तेंदुओं के संरक्षण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

5. ट्रैफिक इंडिया

- ट्रैफिक (TRAFFIC) दुनिया भर में एक प्रमुख वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। TRAFFIC का पूरा नाम TRADE Record Analysis of Flora and Fauna In Commerce है। यह एक एक अग्रणी गैर-सरकारी संगठन है जो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में वन्यजीव व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई और इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में है।

6. तेंदुआ

- तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। तेंदुए की नौ उप-प्रजातियों को मान्यता दी गई है और उन्हें अफ्रीका और एशिया में वितरित किया गया है।

07 ट्राइफेड : आभासी कार्यालय का उदघाटन

1. चर्चा का कारण

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) जनजातियों की आर्थिक मदद कर इन्हें सशक्त बनाने और मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए ट्राइफेड के आभासी कार्यालय (Virtual Office) का भी उदघाटन किया गया।
- गौरतलब है कि भारत में अभी भी 200 आदिम जनजातियाँ देश के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) ने 6 अगस्त, 2020 को अपने 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर जनजातीय जीवन में बदलाव लाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में उद्यम एवं वाणिज्य के जरिये जनजातीय सशक्तीकरण के अपने मिशन को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करते हुए ट्राइफेड ने रोजगार एवं आजीविका सृजन में जनजातीय लोगों की मदद करने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया है।
- कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट ने आदिवासी कारीगरों और वनवासी वनोपज संग्रहकर्ताओं सहित गरीब एवं समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आजीविका को गंभीर आघात किया है। ट्राइफेड ने इस उभरती परिस्थिति में रणनीतिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस संदर्भ में डिजिटलीकरण रणनीति काफी महत्वपूर्ण है।

3. ट्राइफेड वर्चुअल ऑफिस

- देशभर में इस वैश्विक महामारी के प्रसार के साथ ही जीवन का हरेक पहलू ऑनलाइन हो गया है। ट्राइफेड वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क में 81 ऑनलाइन वर्कस्टेशन और 100 अतिरिक्त कवरेज वाले राज्य एवं एजेंसी वर्कस्टेशन हैं। ये वर्कस्टेशन देश भर में अपने सहयोगियों के साथ काम करने वाले ट्राइफेड योद्धाओं की टीम-चाहे नोडल एजेंसियां हों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियां- की मदद करेंगे ताकि जनजातीय लोगों को मुख्यधारा के विकास में शामिल करने की दिशा में मिशन मोड में काम किया जा सके।
- इसके तहत जनजातीय वाणिज्य को बढ़ावा देने और उसका खाका तैयार करने तथा गांव आधारित जनजातीय उत्पादकों एवं कारीगरों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ एक ई-प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है।

4. ट्राइफेड की स्थापना

- बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 1987 में की गई थी। यह सभी राज्यों के आदिवासी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही है।
- यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है पहला-लघु वन उपज विकास, दूसरा खुदरा विपणन एवं विकास। ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किये गए या इनके द्वारा बनाये गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राईफेड, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के एजेंट और मोटे अनाजों ,दालों और तिलहनों की सहकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करता है।
- देश भर में जनजातीय समुदायों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हुए (विपणन का विकास और कौशल में निरंतर उन्नयन के माध्यम से) इन जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने के अपने मिशन के तहत ट्राइफेड ने जनजातीय कला एवं शिल्प वाली वस्तुओं की खरीद एवं विपणन के लिए 1999 में नई दिल्ली में अपना पहला रिटेल आउटलेट खोला था, जिसे ट्राइब्स इंडिया नाम दिया गया था।
- ट्राइफेड द्वारा वन धन योजना के तहत, अब तक 1205 जनजातीय उद्यम स्थापित किए गए हैं। शुरू की गई स्टार्ट-अप योजना में 10 लाख आदिवासी लोग कवर किये गये हैं।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 टिक बोर्न वायरस

प्र. टिक बोर्न वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के पूर्वी भाग में टिक बोर्न वायरस के काटने से कुछ लोग संक्रमित हुए हैं।
2. यह वायरस केवल मनुष्यों से मनुष्यों में फैलता है।
3. टिक बोर्न वायरस से संक्रमित मनुष्यों के लक्षण गंभीर बुखार, कम प्लेटलेट्स काउंट ल्यूको साइटोजेनिया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में एक नए टिक बोर्न वायरस के कारण चीन में 7 लोगों की मौत हो गयी और लगभग 60 लोग संक्रमित पाये गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायरस प्राय: बकरियों, मवेशियों और भेड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों के फैलता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत है। अत: उत्तर (c) होगा।

02 प्रॉयरिटी सेक्टर लेंडिंग में स्टार्ट अप

प्र. 'प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग में स्टार्टअप' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्टार्ट अप को बैंक ऋण के लिहाज से प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया है।
2. इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कृषि, MSMEs, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढाँचे, निर्यात ऋण, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऋण स्टार्टअप को बैंक ऋण के लिहाज से प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा दिया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, अत: उत्तर (b) होगा।

03 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG)

प्र. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सही नहीं है?

(a) यह भारतीय लेखा और विभाग का मुखिया होता है।
(b) वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को संसद में रखता है।
(c) केन्द्र से सहायता प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों का परीक्षण भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा किया जा सकता है।
(d) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा किया जाता है।

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में नहीं रखता है बल्कि राज्यपाल को सौपता है जो कि उस रिपोर्ट को विधानमण्डल के पटल पर रखता है। इस प्रकार कथन (b) गलत है। अत: उत्तर (b) होगा।

04 सोने की कीमतों में गिरावट

प्र. सोने की कीमतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. भारत में सोने की मांग संस्कृति, परंपरा, सुंदरता और वित्तीय सुरक्षा की इच्छा से जुड़ी हुई है।

2. मुद्रास्फीति, सदैव सोने के मूल्य को कम करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) न तो 1 न ही 2

(d) 1 और 2 दोनों

उत्तरः (a)

व्याख्याः जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और इसलिए लोग सोने में पैसा लगाते है। जब मुद्रास्फीति लंबी अवधि तक रहती है तो सोना मुद्रास्फीति की स्थिति के खिलाफ बचाव का साधन बन जाता है। इससे मुद्रास्फीति की अवधि में सोने की कीमतें अधिक हो जाती है। इस प्रकार कथन 2 गलत है। अतः उत्तर (a) होगा।

05 बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्टिंग

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनियों के उत्तरदायी कारोबार संचालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पहल करता है।
2. बीआरआर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अपने हितधारकों के लिए उत्तरदायी कारोबार संचालन प्रक्रियायें अपनाने का प्रकाशन है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग पर गठित समिति ने रिपोर्ट जारी की है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कंपनियों के उत्तरदायी कारोबार संचालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पहल करता है। बीआरआर सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अपने हितधारकों के लिए उत्तरदायी कारोबार संचालन प्रक्रियायें अपनाने का प्रकाशन है। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

06 तेंदुओं के अवैध शिकार पर 'ट्रैफिक इंडिया' का अध्ययन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(a) ट्रैफिक इंडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड में सबसे अधिक तेंदुओं का अवैध शिकार किया गया।

(b) वर्ष 2015 से 2019 के बीच भारतीय तेंदुओं की आबादी में लगभग 40% की गिरावट दर्ज की गई।

(c) अवैध वन्यजीव व्यापार में खाल (Skin) सबसे अधिक मांग वाला उत्पाद रहा है।

(d) तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डस है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः ट्रैफिक इंडिया द्वारा तेंदुओं की मृत्यु दर पर किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत में 2015-19 के बीच कुल 747 तेंदुए की मौत हुई। वर्ष 2015-19 के बीच भारतीय तेंदुओं की आबादी में 75 से 90% (न कि 40%) की गिरावट दर्ज की गई है। इस तरह कथन (b) गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

07 ट्राइफेड आभासी कार्यालय का उद्घाटन

प्र. ट्राइफेड आभासी कार्यालय का उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ट्राइफेड की स्थापना राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में वर्ष 1985 में की गई थी।
2. ट्राइफेड द्वारा वन घन योजना के तहत, अब तक 1205 जनजातीय उद्यम स्थापित किए गये हैं।
3. भारत में लगभग 200 आदिम जनजातियाँ देश के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में वर्ष 1987 (न कि 1985) में की गई थी। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 माली में सैन्य तख्तापलट

चर्चा का कारण

- हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश माली में सैन्य तख्तापलट हुआ।

परिचय

- पश्चिम अफ्रीकी देश माली में इस समय भारी राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति है।
- विद्रोही सैनिकों ने तख्तापलट करके देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाउबो सिसे को हिरासत में ले लिया है।
- हिरासत में लिए जाने के बाद माली के राष्ट्रपति ने इस्तीफा देते हुए संसद भंग करने की घोषणा कर दी है।
- गौरतलब है कि राष्ट्रपति के पद से हटने की मांग को लेकर माली में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे। इस साल जून से उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही उन पर अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और चुनाव को लेकर भी आरोप लग रहे थे।
- माली में इससे पहले 2012 में सैन्य तख्तापलट हुआ था और उससे इस तख्तापलट की कोशिश में कई समानताएं बताई जा रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया

- अफ्रीकी संघ, क्षेत्रीय नेताओं और संयुक्त राष्ट्र ने इस बगावत की निंदा की है।

अफ्रीकी संघ ने माली की सदस्यता को भी निलंबित कर दिया है।
- अमेरिका और रूस ने कहा है कि उनकी माली के हालात पर नजर है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र और रूस बीते 7 साल से माली में राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे थे।
- माली के राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक रूप से चुना गया था और उन्हें फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों से व्यापक समर्थन प्राप्त है।
- कुछ लोगों का कहना है कि सेना कट्टर आतंकवादियों के इशारों पर यह काम रही है।
- भारत सरकार भी वहां फंसे भारतीयों को लेकर सतर्क हो गयी है।

माली

- माली या माली गणराज्य, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध देश है। सहारा रेगिस्तान तक फैला माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यह अफ्रीका का सातवां सबसे बड़ा देश है।
- माली की सीमा उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो और कोड द आइवोर, दक्षिण-पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल तथा मारितुआना से मिलती है। माली की राजधानी बमाको है।

02 ईट राइट इंडिया

चर्चा का कारण

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अपने 'सही खाओ चुनौती' (ईट राइट चौलेंज) के संबंध में ऑनलाइन अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यशाला का आयोजन किया।
- 'सही खाओ चुनौती' (ईट राइट चौलेंज) का कार्यशाला आयोजन 'ईट राइट इंडिया' पहल या आंदोलन के तहत किया गया है।

'ईट राइट इंडिया'

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में एफएसएसएआई द्वारा शुरू किया गया 'ईट राइट इंडिया' पहल या आंदोलन लोगों में सुरक्षित, स्वस्थ और स्थायी आहार आदतों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है।
- इसे अंजाम तक ले जाने और कार्यक्रम को जन आंदोलन में बदलने के लिए, एफएसएसएआई ने हाल ही में 197 जिलों और शहरों के लिए एक अनूठे तरीके से वार्षिक प्रतिस्पर्धा 'ईट राइट चैलेंज' की घोषणा की, ताकि खाद्य सुरक्षा और नियामक वातावरण को मजबूत बनाने के साथ उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जा सके और उनसे भोजन के बेहतर विकल्प चुनने का आग्रह किया जा सके।
- भोजन केवल भूख या स्वाद के लिए नहीं है बल्कि स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी है।

लाभ

- भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों में से "196 मिलियन भूख का शिकार हैं जबकि 180 मिलियन अन्य लोग मोटापे से पीड़ित हैं। 47 मिलियन बच्चों में विकास शारीरिक कम हुआ है जबकि अन्य 25 मिलियन बच्चों का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। 500 मिलियन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हैं और 100 मिलियन खाद्य जनित बीमारियों से पीड़ित हैं।"
- इस स्थिति में 'ईट राइट इंडिया' पहल या आंदोलन, इन चुनौतियों को रोकने और दूर करने के लिए भोजन और पोषण की आदतों के बारे में भोजन, पोषण और जागरूकता को प्राथमिकता देने पर हमारा ध्यान केंद्रित करेगा। यह भोजन की बर्बादी और भोजन के निपटान की समस्या पर भी जोर देगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)

- 'स्वस्थ और सुरक्षित भोजन पर सबका अधिकार हो', इस उद्देश्य के साथ सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में पारित किया। इसके पश्चात् सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों के लिए देश का सबसे बड़ा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को 2008 में गठित किया।
- एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य क्षेत्र को विनियमित करने वाला शीर्ष निकाय है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और पोषण पर केन्द्र और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह भी देता है।

एफएसएसएआई (FSSAI) का मुख्य दायित्व

- यह खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री से लेकर आयात तक को नियंत्रित करता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला यह प्राधिकरण इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में तमाम विशेषज्ञों की सेवाएँ लेता है।
- हालाँकि प्राधिकरण खाद्य के लिए वैज्ञानिक मानक भी निर्धारित करता है।
- इसके अलावा खाद्य का परीक्षण, खाद्य सुरक्षा का अनुपालन करवाने का कार्य करता है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना इसका अन्य मुख्य दायित्व होता है।
- एफएसएसएआई (FSSAI) घरेलू खाद्य नियंत्रण के तहत लाइसेंस का पंजीकरण और खाद्य आयात नियंत्रण का भी काम देखता है।

03 कैलिफोर्निया की डेथ वैली

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया की 'डेथ वैली ' (Death Valley) में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- माना जाता है कि एक सदी में धरती के किसी भी हिस्से पर अब तक इससे ज्यादा तापमान नहीं रहा है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली का तापमान 54. 4 डिग्री सेंटीग्रेट रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले भी डेथ वैली का 2013 में उच्च तापमान 54 डिग्री दर्ज किया जा चुका है।
- अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) ने कैलिफोर्निया की डेथ वैली का यह तापमान रिकॉर्ड किया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने ट्वीट करके यह भी बताया कि डेथ वैली का तापमान पिछले साल अगस्त महीने की तुलना में इस साल तीन डिग्री तापमान ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है।
- इस समय कैलिफोर्निया की डेथ वैली के क्षेत्र में भयंकर गर्मी की लहर देखने को मिल रही है।
- मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक तापमान को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है।

- उल्लेखनीय है कि ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आदि गैसें आती हैं जो पृथ्वी के लिए बेहद खतरनाक हैं।

कैलिफोर्निया की डेथ वैली

- डेथ वैली, पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह उत्तरी मोजावे रेगिस्तान (Northern Mojave Desert) में स्थित है और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले, शुष्क तथा गरम स्थानों में से एक है।
- कैलिफोर्निया की डेथ वैली की तली में नमक का एक बड़ा ढेर अवस्थित है। इसके अतिरिक्त , इस डेथ वैली को अमेरिका में शैतान का गोल्फ कोर्स (Devils Golf Course) के नाम से भी जाना जाता है।
- यहां बारिश बहुत कम होती है तथा सर्दी बहुत कम पड़ती है। प्रशांत महासागर से उठी आद्रता भरी समुद्री हवाएँ जब तक यहां पहुंचती है, उसकी सारी नमी सोख ली जा चुकी होती है, इसलिए यहां सिर्फ गर्म हवाएं ही पहुंचती हैं।
- उल्लेखनीय है कि डेथ वैली, रिफ्ट घाटी (Rift valley) का एक उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है।

04 चीनी हवाला घोटाला (China Hawala Scam)

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चीनी हवाला घोटाले (China Hawala Scam) के सिलसिले में लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग (Charlie Peng) और अन्य के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया है।

परिचय

- प्रवर्तन निदेशालय की ओर से यह कार्रवाई आयकर विभाग की छापेमारी के एक्शन के बाद हुई है।
- आयकर विभाग (Income Tax department) ने इस मामले में बीते 11 अगस्त को चीनी संस्थाओं के विभिन्न परिसरों (यथा - दिल्ली, गुरुग्राम , गाजियाबाद आदि) और आरोपियों के करीबियों पर छापेमारी की थी।
- आयकार विभाग ने यह कार्रवाई उन सूचनाओं के आधार पर की थी जिनमें कहा गया था कि कुछ चीनी नागरिक और उनके भारतीय साथी फर्जी शेल कंपनियों के जरिए हवाला के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं।

- आयकर विभाग को छापेमारी की कार्रवाइयों में एक हजार करोड़ से ज्यादा के लेनदेन का खुलासा हुआ था। पाया गया कि चीनी नागरिक हवाला कारोबार को 40 बैंक खातों के जरिए अंजाम देते थे।

मनी लॉन्ड्रिंग

- मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित करना है।
- मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जाँच करने वाली एजेंसियों को भी धन के मुख्य स्रोत का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति इस प्रकार के धन की हेरा-फेरी करता है, उसे 'लाउन्डर' (The Launder) कहा जाता हैं। विदित हो कि पैसे की लॉन्डरिंग प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होते हैं-
  - प्लेसमेंट (Placement)
  - लेयरिंग (Layering)
  - एकीकरण (Integration)
- पहले चरण का संबंध नगदी के बाजार में आने से होता है। इसमें लाउन्डर (The launderer) अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नगद रूप से जमा करता है।

- 'मनी लॉन्ड्रिग' में दूसरा चरण 'लेयरिंग' अर्थात् धन छुपाने से सम्बन्धित होता है। इसमें लाउन्डर लेखा किताब (Book of accounting) में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेन-देन करके अपनी असली आय को छुपा लेता है। लाउन्डर, धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि बांड, स्टॉक, और ट्रैवेलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। यह खाता अकसर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जोकि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं।
- एकीकरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। जिसके माध्यम से बाहर भेजा गया पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लाउन्डरर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अकसर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लक्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आता है।

मनी लॉन्ड्रिंग से संबन्धित कानून

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), विश्व स्तर पर सरकारों द्वारा स्थापित संस्था है जोकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी संगठनों को धन के अंतरण के लिए बैंकिंग प्रणालियों के इस्तेमाल को रोकने के तौर-तरीकों के मानक का निर्धारण और इससे जुड़ी नीतियों के विकास और प्रोत्साहन का कार्य करती है।
- वर्ष 2010 में भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का 34वां सदस्य बना।
- भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) है।
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को कालेधन के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने के अलावा अपराधिक कृत्यों से प्राप्त संपत्ति को संलग्न/जब्त करने का अधिकार देता है।

05 विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

चर्चा का कारण

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) के महानिदेशक ने आईएसए द्वारा 08 सितंबर, 2020 को एक आभासी मंच (virtual platform) पर आयोजित किए जा रहे पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (First World Solar Technology Summit) का विवरण साझा किया।

प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

- 08 सितंबर, 2020 को होने वाले इस सम्मेलन में आईएसए की योजना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ अगली पीढ़ी की तकनीक को सामने लाना है जो सौर ऊर्जा के अधिक कुशलता से उपयोग की दिशा में प्रयासों को गति देगी।
- इसमें आईएसए के सभी सदस्य देशों के मंत्री और वैश्विक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- सौर फोटो वाल्टिक क्रांति में सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। आईएस को हर घर में बिजली पहुंचाने के अपने सपने को हर हाल में पूरा करना है। इसके लिये नवप्रवर्तनशील और

सस्ती प्रौद्योगिकी की जरूरत है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन इस दिशा में उठाया गया कदम है।

विश्व सौर बैंक

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के महानिदेशक ने यह भी बताया कि सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये 15 अरब डॉलर की अधिकृत पूंजी के साथ विश्व सौर बैंक गठित करने की योजना है। इसके लिए आईएसए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रहा है। इस साल अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की सालाना बैठक में इसका डीपीआर पेश किया जा सकता है।
- भारत ने 2022 तक 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार इस साल जुलाई तक सौर बिजली उत्पादन क्षमता 35,000 मेगावाट से अधिक हो गयी है। इस लिहाज से सौर बैंक गठित करने का कदम महत्वपूर्ण है।
- विश्व सौर बैंक, उसी रूप से काम करेगा जिस प्रकार विश्व बैंक परियोजनाओं को वित्त पोषण देकर करता है। दुनिया भर में कुल ऊर्जा में नवीकणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये सौर परियोजनाओं के लिये बड़े पैमाने पर वित्त पोषण की जरूरत है।

स्टार (STAR)

- स्टार (STAR) अर्थात सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र परियोजना (Solar Technology Application Resource Centre project) का लक्ष्य सौर ऊर्जा और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के संबंध में ज्ञान प्रसार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों का नेटवर्क बनाना है।

अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक ऐसा गठबंधन है जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में सौर ऊर्जा की भागीदारी को बढ़ाना है तथा साथ ही हरित ऊर्जा के उद्देश्य को प्राप्त करना है।
- इस संगठन में 122 से भी ज्यादा देश सम्मिलित हैं।
- इस संगठन को बनाने का मुख्य श्रेय भारत व फ्रांस को जाता है।
- इस संगठन में मुख्यत: Sunshine देश ही सदस्य है ये देश वे देश है जो प्राकृतिक रूप से लगभग साल भर सूर्य का प्रकाश ग्रहण करतें है जिनमें से Tropical Region यानि विषुवतीय प्रदेश के देश मुख्य हैं।
- इस संगठन का मुख्यालय भारत के गुरूग्राम शहर में स्थित है।
- भारत के प्रधानमंत्री ने ISA के सदस्य देशों को सूर्यपुत्र की संज्ञा दी है।

06 ब्रिक्स एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत ने ब्रिक्स देशों के 'एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप' के वेबिनार सम्मेलन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी हेतु डार्कनेट और आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र आयोजित किया गया और इस बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने किया।
- एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप में चर्चा के दौरान उभरे सामान्य बिंदुओं में सदस्य देशों के बीच वास्तविक समय की जानकारी साझा करने की आवश्यकता और समुद्री मार्गों के माध्यम से बढ़ती नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता जैसे मुद्दे शामिल रहे।
- मादक पदार्थों की तस्करी के लिए डार्कनेट और अन्य उन्नत तकनीकों का दुरुपयोग बैठक का प्रमुख केंद्र क्षेत्र था।

डार्क नेट

- डार्क नेट (Darknet), इंटरनेट पर उन वेबसाइट्स से निर्मित एक नेटवर्क है जो समान्य तौर पर प्रयोग किये जाने वाले गूगल, याहू, बिंग आदि जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउजिंग की पहुँच से दूर होती हैं। इन वेबसाइट्स को 'डार्क वेब' कहा जाता है।इस प्रकार डार्क वेब, डार्क नेट पर उपस्थित वेबसाइटों को संदर्भित करती हैं।
- डार्क नेट को डीप नेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डार्कनेट गहरे छिपे

हुए इंटरनेट प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है। डार्क नेट तक विशेष ऑथराइजेशन प्रक्रिया या फिर विशिष्ट सॉफ्टवेयर व विन्यास (Configuration) के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है।

- डार्क नेट में 'द ओनियन राउटर' (The Onion Router- TOR) और इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट (Invisible Internet Project or I2P) जैसी तकनीकों या सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ताकि इंटरनेट पर प्रक्रियाओं को गोपनीय रखा जा सके।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी से दूर रहने के लिए द ओनियन राउटर और इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट का उपयोग करके मादक पदार्थों की बिक्री, अश्लील सामग्री के आदान-प्रदान और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।

ब्रिक्स

- दुनिया की पाँच सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं-ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका-ने मिलकर एक समूह

बनाया है। इसी समूह को ब्रिक्स कहा जाता है। दरअसल ब्रिक्स इन पांचों देशों के नाम के पहले अक्षर B, R, I, C, S के लिये प्रयोग किया जाने वाला एक संक्षिप्त शब्द है।

- BRICS शब्द का जिक्र सबसे पहले साल 2001 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा एक रिपोर्ट में किया गया था। इस रिपोर्ट में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिये विकास की बेहतर संभावनाएं व्यक्त की गई थीं। हालांकि उस समय इसमें केवल ब्राजील, रूस भारत और चीन - इन्हीं चार देशों की चर्चा की गई थी यानी शुरुआत में यह BRICS नहीं बल्कि BRIC था।
- इसकी औपचारिक स्थापना जुलाई 2006 में रूस के सेंट्स पीटर्सबर्ग में जी-8 देशों के सम्मेलन के अवसर पर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई। बाद में, सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA की एक बैठक के (बैठक से इतर) अवसर पर BRIC देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इसी में BRIC की औपचारिक शुरुआत हुई।
- पहले ब्रिक सम्मेलन का आयोजन 16 जून, 2009 को रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने का न्यौता दिया गया और इसे BRICS कहा जाने लगा।
- साल 2014 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर दो अहम वित्तीय संगठनों का निर्माण किया- पहला न्यू डेवलपमेंट बैंक और दूसरा आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था।

07 जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातियों के लिए नयी पहल

चर्चा का कारण

- हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कई पहलों की गयी हैं, जिनमें जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल, राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फैलोशिप पोर्टल शामिल हैं।

स्वास्थ्य पोर्टल

- स्वास्थ्य पोर्टल, अपने किस्म का पहला ऐसा ई-पोर्टल है जो एक ही मंच पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है।
- यह पोर्टल जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएँ , विशेषज्ञता और अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवाचारी प्रक्रियाओं, शोध रिपोर्टों, मामला अध्ययनों, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करेगा।
- स्वास्थ्य पोर्टल, जनजातीय लोगों अर्थात आदिवासियों के स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में 'वन स्टॉप समाधान' के रूप में कार्य करेगा तथा इस संबंध में सभी सूचनाओं को प्रदान करेगा।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence-CoE) के द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल का प्रबंधन किया जाएगा।

राष्ट्रीय फैलोशिप और प्रवासी छात्रवृत्ति पोर्टल

- राष्ट्रीय फैलोशिप और प्रवासी छात्रवृत्ति पोर्टल अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बेहतर पारदर्शिता और आसान जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- जनजातीय मामलों का मंत्रालय, डीबीटी के माध्यम से सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में उत्कृष्ट डेटाबेस बनाने और डैशबोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता लाने का प्रयास कर रहा है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03
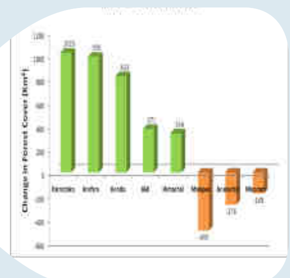

05

01 हाल ही में पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न तनाव के परिप्रेक्ष्य में तुर्की और ग्रीस के संबंधों का विस्तार से चर्चा कीजिए।

02 यूरोप से लेकर मध्य एशिया और अब भारत तक, चीन की वस्तुओं पर निर्भरता स्वदेशी विनिर्माण उद्योग को कमजोर कर रही है। मूल्यांकन करें।

03 भारत में वन आवरण के संबंध में सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करें।

04 भारतीय महिलाएं सामान्यत: अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक कुपोषित हैं। इसके कारणों को समझाते हुए इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें।

05 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों को समझाते हुए शहरी अपशिष्ट के डंपिंग स्थलों के कारण आने वाली प्रमुख समस्याओं के बारे में विस्तार से समझाएँ।

06 वर्तमान में भारतीय विनिर्माण कंपनियों को तेज गति से विकसित करने की आवश्यकता हैं। क्या यह उद्योग 4.0 के युग में वैश्विक बराबरी करने में सक्षम हैं? टिप्पणी करें।

07 राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health Mission) के बारें मे समझाते हुए बताएं कि यह मिशन भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए किस प्रकार सहायक हैं ?

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 किस भारतीय कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 संस्करण के लिए टाइटिल प्रायोजन अधिकार जीता है?

ड्रीम 11

02 भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया है?

मणिपुर

03 हाल ही में किस बौने ग्रह (dwarf planet) को 'महासागर की दुनिया' (ocean world) का दर्जा मिला है?

सेरेस

04 हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की ऐसी किस्म का पता लगाया है जो सामान्य से 10 गुना ज्यादा संक्रामक है ?

मलेशिया

05 किस राज्य की पुलिस ने अपने परिवारों तक आयुर्वेद की पहुँच हेतु 'धनवंतरी रथ' योजना शुरू की है?

दिल्ली

06 'भड़भुत बैराज परियोजना' हाल ही में समाचारों में रही है। यह किस राज्य में स्थित है?

गुजरात

07 हाल ही में चर्चा मे रही डेथ वैली (death vally) किस देश मे स्थित है?

संयुक्त राज्य अमेरिका

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04

06

01 'दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है।'

लाओत्से

02 हम दुनिया में मौजूद हर चीज सीखने नहीं आये है, लेकिन उन चीजो की जानकारी होना जरूरी है जिनसे हमारे चरित्र और व्यवहार का का निर्माण होता है।

जॉन लॉक

03 पद व्यक्तियों को सम्मानित नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति पदों को सम्मानित कराते हैं।

निकोलो मैकियावेली

04 बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है।

पी सायरस

05 आपसे बेहतर, आपको कोई दूसरा सलाह नहीं दे सकता।

सिसरौ

06 लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के लिए नहीं बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

07 'बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।'

डॉ. भीम राव अम्बेडकर

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA:** HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH:** GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): **अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |**

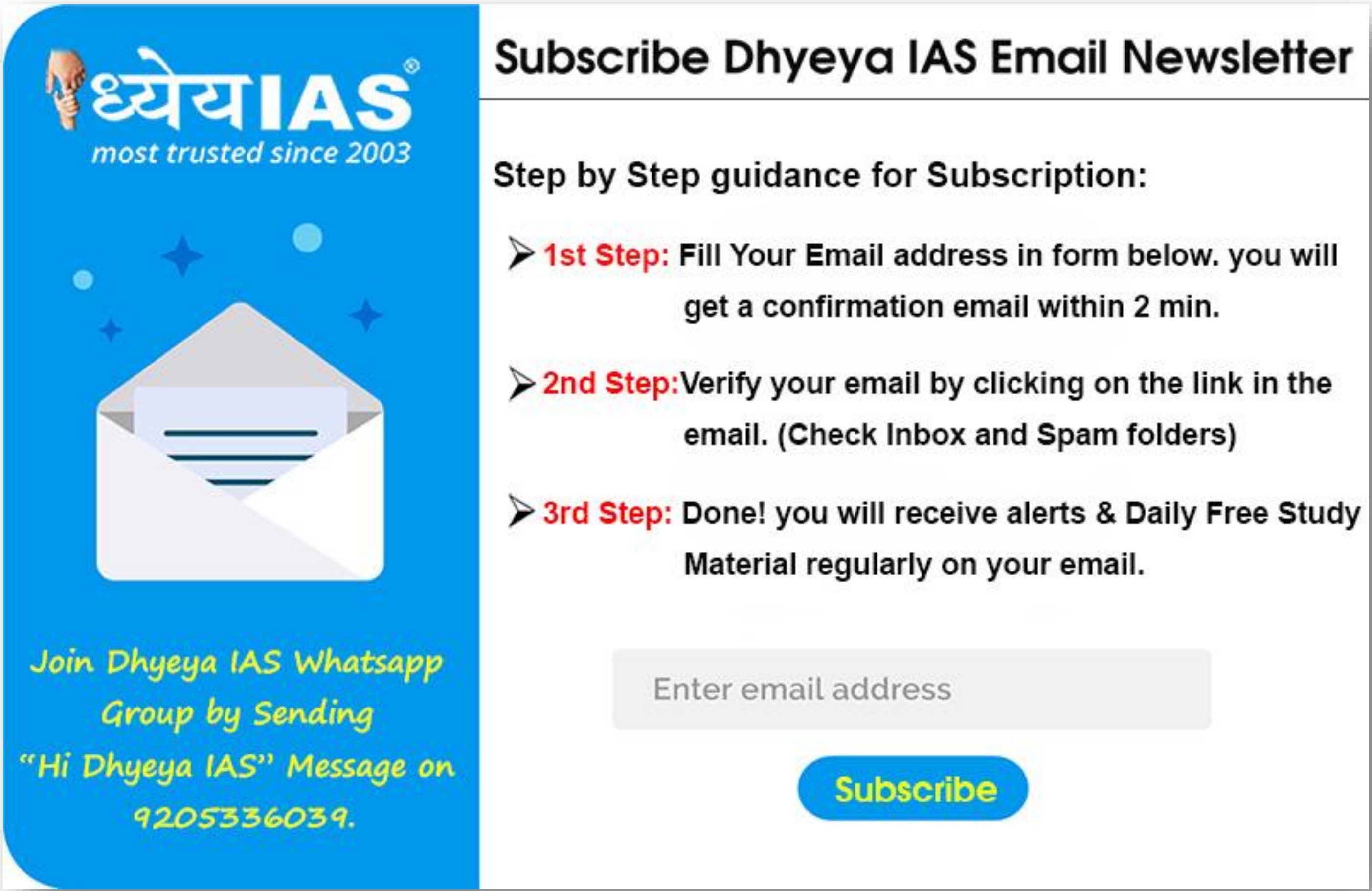

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 | 9506256789

Whatsapp: 9205274741

Visit: dhyeyaias.com